UNIVERSAL
LIBRARY

OU_186685
UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY
Call No. H 323.2 J22Bh
Acc No. H 1497

विधान निर्मात्री परिषद् और

भारत में मन्त्रि मिशन

ईस्ट ईण्डिया कम्पनी के समय से लेकर अबतक किये गये ब्रिटिश सरकार के खोखले वायदों का तारीख वार दिग्दर्शनः मन्त्रि-मिशन और कांग्रेस अध्यक्ष तथा लीग के अध्यक्ष का परस्पर पत्र व्यवहारः मन्त्रि मिशन का एतिहासिक वक्तव्यः आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित विधान परिषद पर अधिकारी पुस्तक

लेखकः—

अनेक राजनैतिक और एतिहासिक पुस्तकों के रचियता

श्री कौशल प्रसाद जैन

सोल एजेन्ट

साहित्य कला निकेतन

१६३८ दरयान स्ट्रीट, देहली।

प्रथम वार] [मूल्य १)

मार्च १९४७ [डाक व्यय सहित १।–)

प्रकाशक
लोक साहित्य प्रकाशन मन्दिर
(कामा) भरतपुर

मुद्रक
धारा प्रेस
चर्खे वालान देहली

प्रकाशकीय

श्रीयुत कोशल प्रसाद जैन आज भारतीय जनता को चालू राजनीति पर बहुत ही सरल भाषा में ऐसा साहित्य बराबर भेंट कर रहे हैं जिसकी बड़ी भारी आवश्यकता थी। आपकी कलम से पूर्ण ज्ञानकारी लिये हुए, अधिकृत और ऐसा ठोस साहित्य निकलता है जो राष्ट्र की भावी सन्ततियों के लिये अत्यन्त काम का है यही कारण है कि बाजार में इतनी शीघ्रता से उनके साहित्य की इतनी माँग पैदा हो गई है। जय भारत साहित्य मण्डल लि० के नाम से देहली में उन्होंने जो संस्था खड़ी की है उसकी इतने थोड़े दिन में सफलता का राज़ इसी में गर्भित है। एक एक दो दो महीने में उनकी पुस्तकों के कई कई हजार के दो दो तीन तीन एडीसन हो जाना इस बात का प्रमाण है कि कि जनता ने उनकी पुस्तकों को कितना अपनाया है।

साहित्य कला निकेतन के स्थायी ग्राहकों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उपरोक्त विद्वान लेखक ने हमें भी थोड़ा सहयोग देने का बचन देदिया है, उसके फल स्वरूप यह उनकी पहिली पुस्तक आपके हाथों में जा रही है। विधान परिषद् और मन्त्रि मिशन पर हिन्दी में अभी तक (मेरी जानकारी में) पुस्तक नहीं थी. आशा है यह पुस्तिका इस अभाव की पूर्ति करेगी। राजनीति एक गूढ़ विषय है उसमें भी विधान सम्बन्धी साहित्य अत्यन्त रूखा, फिर भी आशा है विद्वान लेखक द्वारा सरल और रोचक भाषा में लिखी गई इस पुस्तक को भी वही आदर प्राप्त होगा जो उनकी अन्य पुस्तकों को प्राप्त होता रहा है।

जी० एल० खण्डेलवाल
१६३८ दस्सान स्ट्रीट, देहली।

पुस्तक के सम्बन्ध में

पिछले दिनों जब कि मैं अपनी ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनीयां नामक शृंखला में महाराणा प्रताप और सरदार हरिसिंह नलवा लिख रहा था तो मेरे अनेक मित्र, पाठकों और बुजुर्गों ने विधान परिषद पर कुछ लिखने के लिये जोर दिया और मुझे यह भी बताया कि मन्त्रि मिशन भारत में आकर इतने दिन ठहरा उसने इतना काम किया फिर भी ऐसे ऐतिहासिक विषय पर हिन्दी में कोई पुस्तक नहीं है। मैं चूंकि दूसरे साहित्यक कार्य में फँसा हुआ था अतः मैंने अपने मित्र श्री पं० श्यामलाल शर्मा पूर्व सम्पादक दैनिक 'नया हिन्दुस्तान' को इस संबन्ध में में कुछ आंकड़े और तथ्य एकत्रित करके कहा, उन्होंने कृपा पूर्वक इस एकत्रित कर मुझे देदिये, पर अत्यन्त व्यस्तता के कारण वह योंही पड़े रहे। इसी बीच मेरी एक भाई गणपत लाल जी से चालू राजनैतिक साहित्य पर चर्चा हो गई और उन्होंने यह पुस्तक अपने यहां से प्रकाशन करने की मांग की इससे पहिले भी इस सम्बन्ध में मेरे ऊपर उनका बड़ा तकाजा था अतः मजबूरन मुझे स्वीकृति देना पड़ा, और उस के फल स्वरूप उन्होंने मेरे पीछे पड़कर इस पुस्तक का क्रम बद्ध करा लिया। पुस्तक के सारे आंकड़े जो सरकारी कागजात और ऐतिहासिक पुस्तकों से इकट्ठे किये गये हैं भाई श्यामलाल जी ने ही मुझे दिये हैं मैंने तो केवल उन्हें इधर उधर करने श्रेणी बद्ध कर दिया है। एक प्रकार से यह पुस्तक उन्हीं की लिखी हुई है मैं तो इस पर उन्हीं का नाम

देना चाहता था पर वह किसी प्रकार भी नहीं माने और उनके परिश्रम का यह फल मैं उठा रहा हूँ। पाठकोंको इस पुस्तक तैयार करने के लिये वास्तव में उपरोक्त दोनों ही व्यक्तियों का आभारी होना चाहिये। मेरे जैसे व्यस्त और मुक्त व्यक्ति से तकाजा करके पुस्तक को पूरी करा लेना भाई गणपत लाल जैसे उत्साही युवक का ही कार्य था! अस्तु

जहां तक पुस्तक का सम्बन्ध है यह विधान परिषद के आरम्भ होने तक ही सीमित है इसमें ईस्ट इण्डिया कम्पनी से लेकर मन्त्रि मिशन तक किये गये वायदों का तारीख वार और व्यक्ति वार विशद वर्णन है। अन्तिम वायदे के रूप में मन्त्रि-मिशन का वक्तव्य और उनका भारत में कार्य विस्तार पूर्वक दिया गया है आशा है पाठकों को इससे काफी जानकारी प्राप्त होगी। और यदि उन्होंने इसे जरा भी पसन्द किया तो मैं विधान परिषद के कार्य प्रस्ताव सदस्यों के परिचय आदि दूसरी विस्तृत पुस्तक भी संकलित करने का प्रयत्न करूंगा।

मैं अपने कृपालु पाठकों और मित्रों का अत्यन्त आभारी हूँ जिनके प्रोत्साहन से ही मुझे इतनी शीघ्र पुस्तकें भेंट करने की शक्ति मिलती रहती है।

—कौशल प्रसाद जैन

विधान निर्मात्री परिषद् और ब्रिटेन के खोखले वायदे

सैकड़ों वर्षो की लम्बी दासता के बाद भारत वासियों के आज एक बार फिर आजादी की हवा मे सांस लेने का आभास पाया है। कम से कम आज वह स्वर्णावसर दिखाई दिया हैं जिसको देखने के लिये भारत मात के हजारो सपूतों ने हंसते हंसते अपने को मौत के हवाले कर दिया है, माताओं ने पुत्रो को, पत्नियोंने पतियों को बहिनों ने भाइयो को और प्रेमियों ने प्रेमिकाओं को आजादी की देवी की भेंट चढ़ा दिया है। हजारो वीरोंने जेल की यातनायें सही हैं, लाठियों की चोटों के घाव सहे हैं, गोलियों की बौछारें खाई हैं, देश निकाले सहे हैं और अपने जीवन को कालकोठरी में गुजारे हैं। वह सब महान् आत्मायें आज स्वर्ग से देश के महान् देवताओं को ब्रिटिश साम्राज्य शाही के गढ़ में बैठकर स्वतन्त्र भारत का विधान बनाते देखकर आशीर्वाद दे रही हैं।

ब्रिटिश साम्राज्य शाही जिसने मजबूर होकर भारत वासियों को यह अवसर दिया था, आज आश्चर्य चकित होकर अन्तर्कालीन सरकार और विधान निर्मात्री परिषद् की कार्य वाहियों को देख रहा है, उन्हें स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि ये जेल में अपने जीवन के अधिकांश वर्ष बिताने वाले पञ्छी इतनी आसानी और सफलता पूर्वक विधान रूपी जाल के के फन्दों को इतनी आसानी से काटने चले जायेंगे। उन्हें यह गुमान भी नहीं था कि हमेशा सरकार की मशीन ही से युद्ध करने वाले यह फाके मस्त लोग शासन की बागडोर इतनी सफलता पूर्वक चला सकेंगे। सिविल सर्विस वालों को चक्करा देने वाली चालों को इतनी आसानी से न सिर्फ नाकाम करदेंगे बल्कि स्वयं उन्हीं को नौकरी के लाले डाल देंगे। विदेशी राजनीतिज्ञों से न केवल सम्पर्क स्थापित कर लेंगे बल्कि उनके देशों में अपने विश्वस्त आदमी राजदूत

के पदों पर आसीन कर देंगे और अपने यहां उनके प्रतिनिधियों को निमंत्रित कर लेंगे। चार माह के अन्दर ही देश का वाता वरण बदल जायेगा। और हय लोगों को (अंग्रेजों की) भारत वर्ष यह सोने की चिड़िया छोड़ देने पर मजबूर होना पड़ेगा।

फिर अंग्रेजों ने यह स्थिति क्यों पैदा की

वास्तव में तीसरा महायुद्ध जीतने के वाद मित्र राष्ट्रों में आर्थिक रूप जितना ब्रिटेन कमजोर हुआ इतना अन्य कोई देश नहीं, केवल आर्थिक रूप में ही नहीं वरन मर्यादा की दृष्टि से भी अंग्रेज ने इस युद्ध में अपना बहुत कुछ खोया है। संसार का प्रत्येक देश अंग्रेजों को स्वार्थी, चालाक, सिद्धान्त हीन और अवसर वादी समझया है युद्ध के अवसर पर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के भारत सम्बन्धी वक्तव्योंने न केवल भारत वासियों को वल्कि अच्छे विचार वाले सभी ससार के राजनीतिज्ञों को अंग्रेजों का अन्दरूनी दुश्मन वना दिया था जिसका सवूत स्पष्ट रूप से राष्ट्रों के संघ में श्रीमती विजय लक्ष्मी पण्डित ने अफ्रीका सम्बन्धी भारत के पक्ष में निर्णय कराकर दे दिया है। अतः सभ्य ससार की दृष्टि में अपना स्थान कायम रखने के लिये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिये आवश्यक होगया कि भारत के सम्बन्ध में कुछ न कुछ निश्चय करने अपनी गई हुई मर्यादा वापिस करने का प्रयत्न करे।

दूसरी वात आर्थिक दृष्टि से चूंकि इग्लैण्ड की हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने उपनिवेशों पर पूजा खर्च कर सके और जवतक पूजी खर्च नही होता तव तक लाभ नहीं मिलता और बिना लाभ के कोई किसी को गले में वान्धकर करे क्या अतः उन्होंने इसे छोड़ना उचित समझा।

तीसरी वात आजाद हिन्द फोज, सन् ४२ का आन्दोलन, नाविक विद्रोह, आदि घटनाओं ने उन्हें यह विश्राम दिला दिया था कि अब

भारत वर्ष को काबू में रखना लोहे के चने चबाना है।

चौथी बात युद्ध के बाद का संसार व्यापी पुनर्निर्माण और आर्थिक संकट का ध्यान करके भी उन्होंने इस बृहतसिंह से छुटकारा पाना ही उचित समझा।

पाचवी बात यह कि मजदूर पार्टी ने भारत के प्रश्न को लेकर ही इंगलैंड में चुनाव जीता वह यह बात समझ चुके थे कि यदि हमने इस मामले में चर्चिल की तरह अनुदार नीति से कार्य लिया तो एक तो जनता की नजरों से गिर जायेंगे दूसरे जिन सिद्धांतों का हम संसार के सामने नारा लगाते हैं उससे पिछड़ जायेंगे।

इन सब कारणों ने मिलकर मजदूर गवर्नमेंट को शीघ्र कोई निर्णय करने के लिये बाध्य किया। इसी लिये मन्त्रि मिशन भारत आया इसने यहां आठ दस सप्ताह रह कर भारत की प्रत्येक पार्टियों से मिला। उसके प्रतिनिधियों से बात की उनके दृष्टि कोणों को समझा और अन्त में सब दलों में कोई सर्व सम्मत फैसला करा देने का भी प्रयत्न किया। पर भारत में मि० चर्चिल के एजेन्ट मि० जिन्ना और उनकी प्यारी लीग की खर की तरह बढती हुई मांग ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। असल में मि० चर्चिल नहीं चाहते कि भारत वर्ष की स्वतंत्रता का सेहरा उनके प्रतिद्वन्दी मि० एटली के सर पर बँधे अतः वह विभिन्न हथ कण्डों और एजेन्टों द्वारा भारत वर्ष में और इंग्लैंड में भी उसके विरुद्ध वातावरण तैयार करने में नहीं चूकते हैं। मि० जिन्ना उनके हाथ के खिलौने हैं और जैसा वह इशारा करते हैं वैसा नचते रहते हैं। कांग्रेस देश की आबादी और समझौते की आशा से ज्यों ज्यों नीचे झुकते जाती है, लीग की मांग उतनी ही बढती जाती है।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है मन्त्रिमिशन ने यहां रहते हुये कांग्रेस और लीग के समझौता करने की पूरी कोशिश की पर वह सफल

न हो सका और चुनावे बिना किसी परिणाम पर पहुंचे अपना वक्तव्य देकर वापिस चला गया वहां जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देदी। इधर वायसराय ने अन्तरिम सरकार बनाने की बात जारी रखी, यह मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के बराबर सम्पर्क में रहे उनका प्रयत्न रहा कि किसी प्रकार भी हो मैं दोनों को अन्तरीम सरकार में शामिल अवश्य करलूं चाहे इसके लिये मुझे दोनों से दो प्रकार के वायदे भले ही करने पड़। उधर जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ब्रिटिश गवर्नमेंट शीघ्र से शीघ्र सत्ता भारत को सौंपना चाहती थी, अतः उन्होंने वायसराय पर जोर डाल रक्खा था कि वह अन्तरिम गवर्नमेंट का निर्णय करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात के लिये तैयार हो गई थी यदि मुस्लिम लीग सहयोग नहीं करती तो भी केवल कांग्रेस के सहयोग से ही अन्तरिम सरकार बनाली जाये। ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से कामनस में एक वक्तव्य देते हुये प्रधान मन्त्री मि० एटली ने यह कहा था कि अल्पसंख्यकों के अड़ने के कारण बहुसंख्यकों की प्रगति में बाधा दिये जाने को बर्दाश्त नहीं किया जावेगा।

भारत वर्ष में जब वायसराय ने देखा कि लीग किसी प्रकार भी कांग्रेस के साथ कार्य करने को तैयार नहीं है और लीग अकेली शासन भार संभालने के योग्य नहीं है तो उन्होंने कांग्रेस की शर्तों पर मन्त्रि मण्डल बनाना स्वीकार कर लिया और २४ अगस्त को इसकी विधिवत घोषणा करदी गई साथ ही दो सितम्बर को नई राष्ट्रीय सरकार ने प्रथम बार अपना कार्य भार ग्रहण कर लिया।

मि० जिन्ना जिन्हें यह आशा थी कि देश का शासन भार लीग के हाथ में आजायेगा और वह जो चाहेंगे करेंगे इस कार्यवाही से बौखला उठे उन्होंने यह कहना आरम्भ किया कि वायसराय ने हमें धोखा दिया है और इस बात को प्रमाणित करने के लिये उन्होंने वाय-

सराय और अपने बीच हुआ प्राईवेट पत्र व्यवहार भी दिया बायसराय से पूछे प्रकाशित कर दिया। मुस्लिम लीग ने अन्तरिम सरकार को फेल करान के लिये देश का साम्प्रदायिक वातावरण भी बिगाड़नेका निश्चय किया। भड़कानें देने वाले व्याख्यान दिये गये लेख लिखे गये, गुप्त सरक्यूलर बाटे गये १८ सितम्बर का दिन एक्शनडे मनाने के लिये विशेष तार पर रखा गया ताकि उस दिन सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे हो और हिन्दुओं और कांग्रेसियों को यह डर दिखा कर कि यदि तुम मुस्लिम लीग की बात नहीं मानोगे तो हम खून कर देगे देश में गृह युद्ध कर देगें आन्तरिक अशाति से कार्य करना मुश्किल करदेगें, अपना काम निकाल लें। एक्शन डे आया देश मे और कहा तो मुस्लिम लीग का दाव नहीं चला पर बंगाल में मुस्लिम लीगी मन्त्रि मण्डल होने और मुसलमानों का बहुमत होने से वहा उन्होंने हिन्दुओं पर मनमाने जुल्मकिये सरकारी फौज और पुलिस ने इन जुल्मों को रोकना तो दूर रहा उल्टा दंगाइयों को प्रोत्साहन दिया। सरकार के सारे साधन दंगाईयों के प्रयोग के लिये दे दिये गये, यहा तक कि हथियार और मोटर लारी वगैरह भी। आरम्भ के दो तीन दिन कलकत्ते में उनका खून दौड़ा। लूट मार, आग लगाना, जान लेना, स्त्रियों को भगा लेजाना, और बच्चों को कत्ल करना या आग के झोंके देना आदि घटनाएं अमल में आई पर स्वयं करके इन दंगाइयो से बदला लेना और उनका मुकाबला करना आरम्भ किया तो सारा मुसलमान भारत बेचैन हो उठा। जब प्रधान मन्त्री मि० सोहरावर्दी के लोगों की ओर से कान खींचे गये कि यह तो उल्टे लेने के देने पड़ गये, तो उन्होंने कलकत्ते का बदला लेने के लिये पूर्वी बंगाल के दो ऐसे जिले नोआखाली और त्रिपुरा चुने जहां हिन्दू आबादी केवल १२ और २० प्रतिशत है। वहा हर देहाती मुसलमान जनता को भड़काया गया और उस

न हो सका और चुनाचे बिना किसी परिणाम पर पहुंचे अपना वक्तव्य देकर वापिस चला गया वहां जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देदी। इधर वायसराय ने अन्तरिम सरकार बनाने की बात जारी रखी, यह मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के बराबर सम्पर्क में रहे उनका प्रयत्न रहा कि किसी प्रकार भी हो मैं दोनों को अन्तरीम सरकार में शामिल अवश्य करलूं चाहे इसके लिये मुझे दोनों से दो प्रकार के वायदे भले ही करने पड़। उधर जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है ब्रिटिश गवर्नमेंट शीघ्र से शीघ्र सत्ता भारत को सौंपना चाहती थी, अतः उन्होंने वायसराय पर जोर डाल रक्खा था कि वह अन्तरिम गवर्नमेंट का निर्णय करें। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात के लिये तैयार हो गई थी यदि मुस्लिम लीग सहयोग नहीं करती तो भी केवल कांग्रेस के सहयोग से ही अन्तरिम सरकार बनाली जाये। ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से कामनस सभा में एक वक्तव्य देते हुये प्रधान मन्त्री मि० एटली ने यह कहा था कि अल्पसंख्यकों के अड़ंगे के कारण बहुसंख्यकों की प्रगति में बाधा दिये जाने का बर्दाश्त नहीं किया जावेगा।

भारत वर्ष में जब वायसराय ने देखा कि लीग किसी प्रकार भी कांग्रेस के साथ कार्य करने को तैयार नहीं है और लीग अकेली शासन भार संभालने के योग्य नहीं है तो उन्होंने कांग्रेस की शर्तों पर मन्त्रि मण्डल बनाना स्वीकार कर लिया और २४ अगस्त को इसकी नियमानुसार घोषणा करदी गई साथ ही दो सितम्बर को नई राष्ट्रीय सरकार ने प्रथम बार अपना कार्य भार ग्रहण कर लिया।

मि० जिन्ना जिन्हें यह आशा थी कि देश का शासन भार लीग के हाथ में आजायेगा और वह जो चाहेंगे करेंगे इस कार्यवाही से बौखला उठे उन्होंने यह कहना आरम्भ किया कि वायसराय ने हमें धोखा दिया है और इस बात का प्रमाणित करने के लिये उन्होंने वाय-

सराय और अपने बीच हुआ प्राईवेट पत्र व्यवहार भी दिया बायसराय से पूछे प्रकाशित कर दिया। मुस्लिम लीग ने अन्तरिम सरकार को फेल करान के लिये देश का साम्प्रदायिक वातावरण भी बिगाड़नेका निश्चय किया। भड़कानें देने वाले व्याख्यान दिये गये लेख लिखे गये, गुप्त सरक्यूलर बाटे गये १८ सितम्बर का दिन एक्शनडे मनाने के लिये विशेष तार पर रखा गया ताकि उस दिन सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे हो और हिन्दुओं और कांग्रेसियों को यह डर दिखा कर कि यदि तुम मुस्लिम लीग की बात नहीं मानोगे तो हम खून कर देगे देश में गृह युद्ध कर देगें आन्तरिक अशाति से कार्य करना मुश्किल करदेगें, अपना काम निकाल लें। एक्शन डे आया देश मे और कहा तो मुस्लिम लीग का दाव नहीं चला पर बंगाल में मुस्लिम लीगी मन्त्रि मण्डल होने और मुसलमानों का बहुमत होने से वहा उन्हों ने हिन्दुओं पर मनमाने जुल्म किये सरकारी फौज और पुलिस ने इन जुल्मों को रोकना तो दूर रहा उल्टा दंगाइयों को प्रोत्साहन दिया। सरकार के सारे साधन दंगाईयों के प्रयोग के लिये दे दिये गये, यहा तक कि हथियार और मोटर लारी वगैरह भी। आरम्भ के दो तीन दिन कलकत्ते में उनका खून दाब लगा। लूट मार, आग लगाना, जान लेना, स्त्रियों को भगा लेजाना, और बच्चों को कत्ल करना या आग के झोके देना आदि घटनाये अमल में आई पर स्वयं करके इन दंगाइयो से बदला लेना और उनका मुकाबला करना आरम्भ किया तो सारा मुसलमान भारत बेचैन हो उठा। जब प्रधान मन्त्री मि० सोहरावर्दी के लोग की ओर से कान खींचे गये कि यह तो उल्टे लेने के देने पड़ गये, तो उन्हों ने कलकत्ते का बदला लेने के लिये पूर्वी बंगाल के दो ऐसे जिले नोआखाली और त्रिपुरा चुने जहां हिन्दू आबादी केवल १२ और २० प्रतिशत है। वहां हर देहाती मुसलमान जनता को भड़काया गया और उस

मुट्ठी भर हिन्दू जनता के ऊपर वह मनमाने अत्याचार किये जिन्हें सुन कर सरा संसार कांप उठा। उसकी प्रतिक्रिया पड़ौसी प्रान्त बिहार में हुई चुंकि बंगाल में अधिकतर बिहारी लोग ही काम करने और रहते हैं, जब बिहार वालों ने देखा कि हमारे बंगाल में रहने वाले रिश्ते, दारों, मित्रो, और बुजुर्गो के साथ ऐसा वर्ताव हुआ है तो उनका खून खोल उठा और उन्होंने बदला लेना आरम्भ किया। इसी प्रकार यू० पी०, देहली आदि में जहां जहां भी मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव डालना चाहा उन्हें कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई और अन्तरम सरकार का कार्य बराबर आगे ही बढता रहा, उधर ब्रिटिश गवर्नमेंट से असहयोग करने के लिये लीग ने प्रस्ताव पास किया कि हमारे सब खिताब धारी अपने अपने खिताब छोड़दें पर उसमें भी उसे सफलता प्राप्त नही हुई तो मुस्लिम लीग को अपना विकार गिरता नजर आया और उन्हें यह नजर आया कि बिना अन्तरिम गवर्नमेंट में शरीक होने का प्रयत्न किया। नवाब भोपाल देहली आये उन्होंने गांधीजी और मि० जिन्ना में बात चत आरम्भ कराई फिर प० नेहरू और मि० जिन्ना मिले बात चीत हुई और पत्र व्यावहार हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट और वायसराय तो यही चाहते ही थे कि किसी प्रकार अतः वायसराय के यह कहने पर कि मुझे मौखिक आश्वासन लीग ने दे दिया है कि वह विधान परिषद में शामिल हो लायेगी लीग अन्तरिम सरकार ने २५ अक्तूबर की शामिल हो गई।

कांग्रेस के लिये अन्तरिम सरकार में शामिल होना गौण बात थी और विधान निर्मात्री परिषद में शामिल होना मुख्य। वास्तव में तो कांग्रेस अन्तरिम सरकार में विधान निर्माण का कार्य सफलता पूर्वक समाप्त करने के लिये शामिल हुई थी, अतः उन्हाने कार्य भार ग्रहण करते ही वायसराय पर जोर डलवाकर विधान परिषद का कार्य आरम्भ

कराने में तत्परता दिखाई। प्रान्तों से सदस्यों का चुनाव हो गया, स्थान निश्चत् हो गया और सदस्यों के ठहरने आदि की व्यवस्था हो गई कि प्रथम बैठक के लिये घोषित हो गई। नियंत्रण भेज दिये गये और सारे संसार को आशा हो गई कि अब ९ दिसम्बर से एतिहासिक विधान परिषद का कार्य आरम्भ होगा।

मुस्लिम लीग चूंकि आरम्भ से ही विधान परिषद के विरुद्ध थी और उसने पहिले ही विधान परिषद में शामिल न होने की बात कहदी अतः उसने यह प्रयत्न किया कि किसी प्रकार भी विधान परिषद का कार्य ९ दिसम्बर को आरम्भ न हो इसके लिये मि० जिन्ना ने खास वक्तव्य दिया, देश में विधान परिषद के विरुद्ध वातावरण तैयार करने साथ इग्लैण्ड में भी विरुद्ध वातावरण तैयार करनेके लिये मि० चर्चिल को उकसाया उन्होंने कामन्स में प्रश्न आदि किये, पर उसका फल नहीं निकला काग्रेस और ब्रिटिश सरकार ९ दिसम्बर को परिषद की कार्यवाही आरम्भ कर देने पर दृढ़ निश्चय थे। फिर भी ब्रिटश सरकार वह अवश्य चाहती थी कि किसी प्रकार भी लीग विधान परिषद में शामिल अवश्य हो अतः उन्होंने अन्तिम प्रयत्न करना तय किया और दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में नेहरू जी और मि० जिन्ना को इंग्लैण्ड आने का नियंत्रण दिया। कांग्रेस को यह सन्देह हो गया कि हमारे नेताओं को इंग्लैड बुलाकर ब्रिटिश सरकार विधान परिषद के कार्य को आरम्भ करने में देर करना चाहती है अतः पं० नेहारू ने यह कहकर कि मुझे यहां बहुत कार्य करने है अतः इस समय मैं इग्लैण्ड नहीं आसकता हूँ नियंत्रण अस्वीकार कर दिया। पर ब्रिटिश प्रधान मन्त्री की इस व्यक्तिगत अपील पर कि आपके यहां बुलाने का तन्पर्य विधान परिषद का कार्य रोकना नहीं है, आप दो दिसम्बर को अवश्य देहली पहुंच जायेंगे पं० जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्देवसिह कांग्रेस की ओर से मि०

जिन्ना और लियाकत अली खां लीग की ओर से इंग्लैण्ड चल दिये। पर दो तीन दिन की व्यक्तिगत बात चीत के बाद भी लीग विधान परिषद में शामिल होने को तैयार नहीं हुई और पं० जवाहर लाल नेहरू के जल्दी करने पर वह अपने साथी सरदार बल्देवसिंह के साथ ८ दिसम्बर को देहली पहुंच गये।

विधान परिषद आरम्भ

९ दिसम्बर के ऐतिहासिक दिन अनेक राजाओं की राजधानी इस देहली में भारत के नव विधान का कार्य आरम्भ हो गया। प्रथम सभापति का आसन भारत के सबसे वयवृद्ध असेम्बली सदस्य श्री सच्चिदानन्द सिन्हा बिहार ने ग्रहण किया। सदस्यों के शपथ आदि ले लेने के बाद स्थायी सभापति का चुनाव हुआ और देश रत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद को इस पद के योग्य समझ कर चुना गया। विधान निर्मात्री परिषद के उद्देश्यों को बनाने वाला एक प्रस्ताव पं० जवाहर लाल नेहरू ने पेश किया उस पर कई दिन तक बराबर बहस होती रही और डा० जयकर के जोर देने पर कि इसे अगली मीटिंग तक स्थगित कर दिया जाये शायद तबतक मुस्लिम लीग परिषद में शामिल हो जाये प्रस्ताव को अधूरा छोड़ दिया गया।

परिषद के सदस्य

विधान परिषदमें निम्न सदस्य निम्न सूबे से इस प्रकार चुनकर आये हैं:-

मद्रास—सर्व श्री राजगोपालाचार्य, पट्टाभि सीताराम मैय्य, टी प्रकाशम, एन० गोपाला स्वामी ऐंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी ऐअर, एम० अनन्ता सैय्यानम ऐंगर, बोबिली के राजा, कुमार राजा एम० ए० मुथिमा चेटयर, श्रीमती अम्मू स्वामी नाथन, श्री राम नाथ गोयन का, टी टी कृष्णमा चारी, पी० शुब्बारायण, खि० एफ जेरोड़ी साजा, श्रीमती दक्षयानी विलायुधन, बी० गोपाला रेड्डी, डा० गोबिन्द दास, के

कमराज नारद, के० माधव मेनन, पा० कुनहीरानन, पी० आई० मुनि· स्वामी पिल्लाई, बी० नाड़ीमुथु पिल्लाई, एत० नागप्पा, पी० एल० नरसिंह राजू, सी० पीरूमल रेड्डियर, टी० ए० रामालिंगम चेटियर. मि० ओ० पी० रामा स्वामी रेड्डियर, एन० जो० रंगा, एन० सन्जावी रेडी, एस० एच० प्राटर, यू० श्री निवास मलैय्या, कला विकारा राव, पी० कक्कन एम० सी० वीरवाहू पिल्लाई, टी० जे० एम० विलासन, बी० स० केसवराव, के० सन्तानम्, बी० शिवाराव, एच सीतारामा रेड्डी, सी० सुब्रामन्याम, वी० सुब्राम नीयम, पी० एम० बिला युधायानी, ओ० वी० अलागसन, के० चन्द्रमौली एल० कृष्ण स्वामी भारती, श्रीमती दुर्गाबाई।

हाजी अब्दुल सत्तार एच० ईशाक सेठ के टी० एम० अहमद इब्राहीम, मि० महबूब अली बेग, मि० बी० पोकर।

बम्बई—सर्व श्री सरदार बल्लभ भाई पटेल, शंकरराव देव, बी० जे० खेर, के० एम० मुन्शी, कन्हैयालाल देसाई, आर० आर० दिवाकर, अलीबन डी० सोज, एम० बी० गाड़गिल, बी० एम० गुप्ता, के० एम० जेधे, एस० एव० नेने, श्रीमती हसा मेहता, आर० एम० नलवाड़ो, एस० निजालिंगप्पा, एस० के० पिटल, एम० आर० मसानी, एच० वी० पटासकर, शांतीलाल शाह। खडुभाई देसाई।

मि० आई० आई० चुन्दरोगर, मि० अब्दुल कादर शेख।

उड़ीसा—सर्व श्री हरिकृष्ण मेहताब। विश्वनाथ दास, श्रीमती मालती चौधरी, बोधराम दुबे, बी० दास, राजकृष्ण बोस, नन्दकिशोर दास, एम० सन्तान्द्र कुमार दास, लक्ष्मीनारायण साहू।

संयुक्त प्रान्त—सर्व श्री पं० जवाहर लाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास टन्डन, गोविन्द बल्लभ पन्त, सर एस० राधा कृष्ण, आचार्य जे० बी० कृपलानी, श्री कृष्णदत्त पालीवाल, सरदार जोगेन्द्रसिंह, पं० धर्मदास, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी,

कैलाश नाथ काटजू, हृदय नाथ कुंजरू, श्रीमती कमला चौधरी, दयालदास भक्त, धर्म प्रकाश, मसुराद्दन, सुन्दर लाल। भगवानदीन, प्रागीलाल, सेठ दामोदर स्वरूप, गोविन्द मालवीय, श्री प्रकाश, बाल कृष्ण शर्मा, मोहनलाल सक्सेना, रामचन्द्र गुप्ता, महेश्वर दयाल सेठ, हरगोविन्द पन्त, हरिहर नाथ शास्त्री, शिब्बनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी, फिरोज गांधी, कमलापति तिवारी, आर० वी० धुलेकर, अलगूराम शास्त्री, फूलसिंह, बंकटेले नरायण तिवारी, गोपीनाथ श्रीवास्तव, गोपाल नरायण, बन्शीधर मिश्रा, खुरशेदलाल, जसपतराम कपूर, आचार्य जुगल किशोर, राजा जगन्नाथ बक्स सिंह, सर ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, सर पद्मपतसिंहानिया।

नवाब मोहम्मद इस्माइल खां, चौधरी खली कुजहान, महाराजा कुमार अमीर हैदर खां बेगम एजाज रसूल, मि० एस० रिजुवनुल्लाह, मौलवी अजीज अहमदखां, मौ० हसरत मोहनी मि० रफीअहमदाकदवई।

मध्य प्रदेश और बरार—सर्व श्री गुरु अगम दास अग्रमणदास, लक्ष्मण श्रवण भाटकर, बृजलाल नन्दलाल ब्याणी, ठाकुर छेदीलाल, डा० पंजावराव शाम राव देशमुख, शंकर त्र्यंमक धर्माधकारी, मि० शीसिल एडवर्ड गिवन, सर हरीसिंह गौड़, सेठ गोविन्ददास; वी० आर० कल्याण हरि विष्णु कामथ, राजकुमारी अमृत कौर, हेमचन्द जागी बाजी खाण्डेकर, मि० भगवान्त राव अन्नभान मांडलोई, पं० रविशङ्कर शुक्ला, मि० ममामी खुर्शेद सिधवा। मि० काजी सैयद करामुद्दीन।

बिहार—सर्व श्री डा० राजेन्द्र प्रसाद, भगवत प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डा० जग जीवनराम, फुल्लान प्रसाद वर्मा, महेश प्रसाद सिन्हा सारंगधर सिन्हा, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, देवेन्द्र नाथ सामन्त, यदुवंश सहाय, अमिय कुमार घोष, सत्यनारायण सिन्हा, कमलेश्वर प्रसाद यादव, [illegible] सिन्हा, राम नारायण सिन्हा, गुप्तनाथ सिंह, जगत

नारायण लाल, श्री कृष्ण सिन्हा, मि० वोनीफेस लरका, ब्रजेश्वर प्रसाद, चन्द्रिकाराम, राय बहा० श्री नरायण मेहताव, देशवन्धु गुप्ता, बनारसी प्रसाद झुंझनुवाला, पी० के० सैन, श्रीमती सरोजनी नायडू, डा० सच्चिदानन्द सिन्हा, महाराजाधिराज दरभंगा, रा० ब० श्याम नन्दन सहाय, जयपाल सिंह।

मि० हुसैन इमाम, मि० लतीफुर रहमान, मि० ताजमल हुसैन, सैय्यद जफर इमाम मि० माहम्मद नाहिर।

चीफ कमिश्नर के सूबों से

कुर्ग—सी० एम० पनाचचा। देहली—आसफ अली।

अजमेर मारवाड़—मि० मुकटबिहारी लाल भार्गव।

पंजाब—रा० ब० सूरजमल, डा० गोपीचन्द भार्गव, पं० श्रीराम शर्मा, बख्शी सर टेकचन्द, सरदार पृथ्वीसिंह आजाद, दीवान चम्मन लाल, मि० मेहर चन्द खन्ना, चा० हरभज राम।

नवाब सर मुजफ्फर अली खान काजिलबाश, मि० मौहम्मद अली जिन्ना, सरदार अब्दुर रव निश्तर, नवाब इफ्तिखार हुसैन खां ममदोत, मियां मुमताज मोहम्मद खां दौलताना, मल्लिक सर मौहम्मद फिरोज खां नून, राजा गजनफर अली खा, प्रो० अबुबकार अहमद हलीम, मियां मौहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, चौधरी मौहम्मद हुसैन, खान बहादुर शेख करामत अली, बेगम जहान आरा शहानवाज, सय्यद गुलाम भिक नारंग, खानबहादुर चौ० नजीर अहमद खां, डा० मल्लिक उमर हयात, सैय्यद अमजद अली।

सीमा प्रान्त—मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खां, खान सरदार बहादुर खान।

सिन्ध—मि० जयराम दास दौलत राम।

खान बहादुर एम०ए० खुरो, पीरजादा अब्दुसत्तार, एम० एच० गजदर।

बलोचिस्तान—नवाब मौहम्मद खान जोगाई ।

बंगाल—सर्व श्री भीमराव रामजी अम्बेडकर, मि० फ्रैंक रगीनाल्ड, एन्थोनी, सत्यरंजन बक्सी, डा० सुरेशचन्द्र बनर्जी, सरतचन्द्र बोस, मि० अरुणचन्द्र गुहा, डम्बरसिंह गुरंग, मि० देवी प्रसाद खेतान, मि० सोमनाथ लाहिरी, सर उदय चन्द्र महताब, मि० जर्नादन चन्द्र मजूमदार, मि० आशुतोष मल्लिक, डा० एच० सी० मुकर्जी, डा० श्याम प्रसाद मुकर्जी, मि० हेमचन्द्र नास्कर, मि० धनञ्जय राय, मि० किरण शंकर राय, मि० प्रफुल्लचन्द्र सैन, मि० प्रथम रंजन ठाकुर ।

खान ब० अब्दुल मसूद अब्दुल हमीद, खान ब० अब्दुल्ला अली महमूद, मि० मौह० अब्दुल्ला बाकी, मि० अब्दुल हुसैन, मि० अब्दुल कासिद खां मि० एम० एस० अली, खान बहादुर एम० लतीफ, अहमद, सर एम० अजीजुल हक, खान बहादुर वेजुल करीम, खान बहादुर इब्राहीम खां, मि० फजलुल रहमान, मि० फरमुजुल हक, खान बहादुर घनश्यामुद्दीन पठान, मि० हमीदुल हक चौधरी, मि० हुसैन शहीद सुहरावर्दी, प्रा० इश्त्ताहद हुसैन कुरैशी, मि० एम० ए० एच० इस्पाहिनी, नवाब ज्यादा लियाकत अली खां, डा० मौहम्मद हुसैन, मि० मजहरुल हक मि हुसैन, मि. मौ. हुसैन मल्कि, मि. मुर्जीबुर रहमान, खां ख्वाजा सर निजामुद्दीन, मि. केनुरुद्दीन, मि. रागिब अहसान, मि. सिराजुल स्लाम, मो. शब्बीर अहमद उस्मानी, के. शहाबुद्दीन, वेगम शइस्ता सुहरावर्दी, इकरा मुल्लाह मि. तमीजुद्दीन खान, शहाजादा युसुफ मिर्जा मि. अब्दुल कसीम फैजालाल हक ।

आसाम—सर्व श्री गोपीनाथ बारदोलाई, मि. कुमार बसन्त कुमारदास, रिव. जे. जे. एम निकोलस राय, मि. रोहिणी कुमार चौधरी, मि. उमाव कुमार दास, मि. धरनेन्द्र वासुमतरी. मि. अक्षय कुमार दा । सर मौहम्मद सादुल्ला, मि. अब्दुल मतीन चौधरी, मौलवी अब्दुलहमीद ।

स्वराज्य की ओर

सन १८५७ में हिन्दुस्तानी सामन्त शाही ने ब्रिटिश साम्राज्य-वाद के विरुद्ध जबर्दस्त लोहा लिया था। जातियता के नाम पर से हिन्दुस्तान के विदेशी हुकूमत का अन्त कर देना चाहते थे पर उन्हें सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी साम्राज्य शाही ने उसे प्रसिद्ध, सिपाही विद्रोह, को कुचल डाला। उस समय से आज तक यह अभागा देश पराधीन है।

ब्रिटिश साम्राज्य शाही ने इस स्वर्ण भूमि को अपने अधिकार में रखने में इसके धनको चूस कर इसे कंगाल बनाने में, इसे हर प्रकार से लाचार, और कमजोर बनादेने में जिन तरीकों को अख्त्यार किया है वैसी बर्बर नृशंस और जालिम नीती का नमूना इतिहास में कम मिलता है। धीरे धीरे जनता संभलने लगी। उसमें जागृति के भाव उदय होने लगे जिस के फल स्वरूप पिछली शताब्दी की अन्त में हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता और अंग्रेजी साम्राज्य शाही के बीच संघर्ष का धुंधला चित्र प्रकट होने लग

विदेशी हकूमत के खिलाफ क्रान्ति की चिन्गारियां इकट्ठी होने लगी। सारे हिन्दुस्तान में विदेशी हुकूमत के विरुद्ध अशान्तोस की आग फैल उठी इसका कारण विदेशी पूंगीवाद और उसकेने फल स्वरूप जनता की बढती हुई गरीवी था। गुलामी के विषैले नतीजों से लोग जानकाहोगए। यह सच है कि इस वढती जाग्रति के घेरे में सिर्फ मध्यम श्रेणी के लोग हीथे किन्तु जाग्रीति के गर्भ में राष्ट्रीय क्रान्ति बुनियाद—यह साम्राज्य शाही के लिए खतरे की घंटी थी। हु कूमत ने इस जाग्रति को कुचलना चाहा। लार्ड कर्जन ने इसका बीड़ा उठ

अनेकों ऐसे कानून वनाए गए जो हिन्दोस्तानियों के आत्म सम्मान के सर्वथा विपरीत थे जिन में गोरे काले के भेद और व्यापार नीति की वि षमता को महत्व दिया गया खुद वायसराय नेकई बार एलान किया था कि "हिन्दोस्तानी आदमी किसी भी ऊचे ओहदे के योग्य नहीं हो सकता" इसके अलावा यूनिवर्सिटी एक्क बना कर लोगों के दिल पर और चोट पहुंचाई गई। विश्वविद्यालयों की शिक्षा वी वागडोर हकूमत ने अपने हाथ में ले ली। विद्यार्थियों को राजनीति से कतई अलग करनेकी कोशिश होने लगी। यहां तक कि जलूसों और सभाओ में भाग लेने-वाले विद्यार्थी निकाल दिये जाने लगे।

सन् १६०५ में लार्डकर्जन ने सार्वजनिक मत् के प्रतिषत बंगाल प्रान्त को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। इसके खिलाफ अयरा एक शाली आन्दोलन खड़ा हो गया। इस गहीं

भग ने देश के कोने २ में आग लगादी। चोट खाई हुई सर्पिशती के समान बंगभूमि फन काढ़ कर खड़ी हो गई। बड़े जोरों का स्वदेशी आन्दोलन चल पड़ा। घर २ वन्देमातरम् का गान होने लगा। ऐसा लपट उठी कि मालूम होने लगा अंग्रेजी राज इस आग में भस्म हो जायेगा। सारे देश में हड़ताल प्रदर्शन, और प्रचार का वेग था।

आन्दोलन का प्रोग्राम था—(१) स्वदेशी का प्रचार (२) विलायती वस्तुओं का बायकाट (३) राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार इस आन्दोलन की चिन्गारियां सारे देश में उड़ीं! अखिल भारतीय कांग्रेस के बनारस वाले अधिवेशन में बंग भंग का सख्त विरोध किया गया। नतीजा यह हुआ कि हर प्रान्त में हकूमत के विरुद्ध किसी न किसी रूप में आन्दोलन खड़ा हो गया।

इधर गर्वोन्मत्त साम्राज्यशाही अपनी पूरी शक्ति से आन्दोलन का अन्त कर देने पर आमादा थी तरह तरह के काले कानून जारी किये गये। हर प्रकार के आन्दोलन पर रोक लगादी गई अखबार कानून, राज द्रोहात्मक सभाओं का कानून प्रेस एक्क क्रिमिनिल ला ऐमेण्डमेण्ड एक्क आदि बन कर जनता की आवाज बन्द की गयी। लोक प्रिय आन्दोलन को मिटाने के लिये चारों ओर से कानूनी दीवारें खड़ी की जाने लगीं। फल यह हुआ कि आन्दोलन ने पोशीदा रूप अख्त्यार कर लिया साम्राज्य शाही का अन्त करने के लिए नौजवान ने कमर बाँध

ली। वे सशस्त्र क्रान्ति की तैयारियां करने लगे जगह जगह विपल्ववादी गुप्त समितियां कायम होने लगी आतङ्क बढा तथा राजनैतिक डकैतियां का बाजार गर्म हो गया कई स्थान पर भीषण बम काण्ड हुए।

बड़े २ अफसर बम और पिस्तौल के घाट उतार दिये गये राजनैतिक परिस्थिति गम्भीर हो चली। गुप्त समितियों का जोर बढ़ा। सैंकड़ों नौजवानों ने इस बलिवेदी पर हंसते हंसते प्राण दिये और देश के इस कोने से उस कोने तक विदेशी शासन के खात्मे की सर्व व्यापी उत्सुकता और इच्छा प्रबल हो हो गई।

ये वो जमाना था जब ब्रिटिश साम्राज्यशाही भारतवर्ष को अपना गुलाम बना कर भरपूर आर्थिक लाभ उठा रही थी। यही समय था जब ब्रिटेन अपना पैर भारत में यही था जमाने के लिए दमन, और अत्याचार से तो काम ले ही रहा था पर इसके साथ ही साथ उसने ऐसे तरीके भी अख्त्यार किये जिससेवो भारतवासियों के एक छोटे से तबके का विश्वास प्राप्त करने में समर्थहो गया, जिसके सहारे ब्रिटिश साम्राज्यशाही मुट्ठी भर होते ४० करोड भारवासियों पर निरन्तर २०० वर्ष तक शासन कर सकी और आज भी कर रही है।

स्वाधीनता संघर्ष कांग्रेस के नेतृत्व में

सन १८५७ के सिपाही विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेज साम्राज्य शाही के मुकाबले मे भारत वासियों का कोई संगठित विरोध खड़ा न हो सका हालां कि जनता में साम्राज्य शाही के

विरुद्ध भावनायें पैदा हो चुकी थी। सन १८८५ ई० मे एक भारत प्रेमी अंग्रेज सज्जन जिनका नाम ए० ओ ह्यूम था उन्होंने इण्डियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया। उनका उद्देश्य कांग्रेस की स्थापना में यह था कि शिक्षित भारतीय लोग अपने देश में अंग्रेजी राज से अधिकतम लाभ उठा सकें और धीरे धीरे यहाँ के शासन में उनका भाग बढता चला जाय। उस समय के अंग्रेजी पढे लिखे लोगो ने इस उद्देश्य का स्वागत किया और वे वर्ष में एक बार किसी बडे नगर में एकत्रित हो कर इस विषय की अपनी अभिलाषाओं को प्रस्तावों के रूप में व्यक्त करने लगे।

लगभग १५ वर्ष तक यही क्रम जारी रहा इस समय काँग्रेस में कुछ ऐसे व्यक्ति भी भाग लेने लगे जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त होते हुए भी—भारतीयता और भारतिय परंपरा के अनुयायी थे। वे अंग्रेज, अंग्रेजियत, और अंग्रेजी शिक्षा को ईश्वर देन के रूप में मानने को तैयार न थे। इन्होने जब देखा कि केवल हमारे प्रस्तावों का आदर करके ही ब्रिटिश शासक हमारी राज नैतिकआँ कांक्षाए पूरी करने को तैयार नहीं है तब वे अपने असंतोश गरम भाषा में व्यक्त करने लगे।बस उसी समय से कांग्रेस में भी—दो विचारधाराए फूट पडी और ये गर्मऔर नर्म दो नामों से हमार समान प्रकट हुई।

सन १९०७ से सन १९१६ तक काँग्रेस स्वगीय गोखले के हाथ में रही। एक बार लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर इन गरम

और नर्म दलोंमें मेल होगया। परन्तु यह मेल व्यवहारमें लखनऊ से आगे नहीं चल सका। सन १९१६ में काँग्रेस के सब स्थानों पर गरम दल का कब्जा हो गया और नरम दल के लोग कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में सम्मिलित होने में संकोच करने लगे। तीन चार वर्ष तक स्थिति यह रही कि वार्षिक अधिवेशन से पूर्व निर्वाचित अध्यक्ष को नरम दल के लोगों से अपील करनी पड़ती थी कि वे वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने की कृपा करें। परन्तु सन १९१९ में जब महात्मा गांधी ने खिलाफत और पंजाब माशर्ला के प्रश्नों पर ब्रिटिश सरकार से असहयोग किया तो काँग्रेस के सभी प्रभावशाली नेताओं ने उसका साथ देने का निश्चय किया तब नरम दल वालों के लिये कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष का निमंत्रण पाकर भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में सम्मिलित होना असँभव हो गया। और उन्होंने नेशनल लिबरल फेडरेशन के नाम पर अपना एक पृथक संगठन बना लिया।

इसी समय से कांग्रेस वर्ष में केवल एक बार प्रस्ताव पास करने वाली संस्था न रह कर जन आन्दोलन की और जनता को संगठित करने वाली एक राजनैतिक संस्था बन गई। महात्मा गांधी उसके सर्व प्रधान नेता और मस्तिष्क बन गये इसकी नीति और कार्य प्रायः महात्मा गाँधी के विचारों के ही अनुसार निर्धारित होने लगे। गत २५ वर्षों में कांग्रेस ने अनेकों बार बलवान ब्रिटिश सरकार से अनेकों टक्करें ली

और जेल, लाठियों, बन्दूकों से बिना डरे स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ने जाने की भावना जागृत की और भारतीय राष्ट्रीयता को उस विकसित रूप तक पहुंचा दिया, जिसे आज हम अपने चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं।

कांग्रेस का लक्ष्य सत्य और अहिंसा के उपायों से स्वराज्य की प्राप्ति करना है। उसका द्वार बिना किसी जाति तथा भेदभाव के भारतीय मात्र के लिये खुला है। परन्तु व्यवहारतः उसके अनुयायिओं में सबसे बड़ा भाग हिन्दुओ का ही है। भारतीय ईसाई, सिक्ख, पारसी, बौद्ध, जैन इत्यादि भी काँग्रेस के राजनैतिक नेतृत्व को बिना किसी विरोध के स्वीकार करते हैं। हां भारतीय मुसलमानों का एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं मानता। कांग्रेस के अनुयायी मुसलमानों की संख्या अपेक्षा कृतन्यून है और कांग्रेस विरोधी

लमान बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि "काँग्रेस एक हिन्दू जमात हैं" परन्तु हाल के धारा सभाओं के निर्वाचन से प्रमाणित हो गया कि करीब करीब सभी जातियाँ और सम्प्रदाय निर्विवाद रूप से कांग्रेस को ही अपना राजनैतिक संगठन मानते हैं।

औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग

सन् १९२४ में कांग्रेस में एक स्वराज्य पार्टी का संगठन हुआ यह स्वराज्य पार्टी धारासभाओं में भी पहुंच गई। स्वराज्य पार्टी की ओर से केन्द्रीय असेम्बली में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार भारतवर्ष को औपनेवेशिक स्वराज्य देने की तिथि नियत कर दे। इस प्रसंग में औपनेवेशिक स्वराज्य की व्याख्या भी की गयी। उस व्याख्या के विषय में उस समय के होम मेम्बर सर माल्कम हेली ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि औपनवेशिक स्वराज्य की माँग भारतीय शासन विधान से मेल नहीं रखती और यह बिल्कुल नई चीज है। भारत को स्वराज्य की ओर बहुत धीरे २ बढ़ाया जायगा। होममेम्बर के इस स्पष्टीकरण ने उन भारतवासियों को बड़े चक्कर में डाल दिया जो औपनवेशिक स्वराज्य के खूंटे से अपनी नाव को बांध कर संतुष्ट थे। महात्मा गांधी और पं० मोतीलाल नेहरू भी कम से कम उस समय के लिए औपनवेशिक स्वराज्य को पर्याप्त मानते थे। सर माल्कम हेली के वक्तव्य से यह अनुभव किया जाने लगा कि अंग्रेजी सरकार औपनवेशिक स्वराज्य के सर्वसम्मत मन्तव्य पर तैयार नहीं इसी समय कांग्रेस ने सर्वदलों के मेल से एक कमेटी बनाई जो औपनवेशिक स्वराज्य की व्यारका और भारत शासन

विधान से उसका मेल मिलाने की योजना तैयार करे इस रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट था।

१९२८ में कलकत्ते के सर्वदल सम्मेलन में ध्येय के सम्बन्ध में बहुत विस्तृत विचार हुआ। तब ध्येय सम्बन्धी विवाद ने बहुत उग्र रूप धारण कर लिया। आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में मुख्य प्रस्ताव पर एक संशोधन उपस्थित करने की सूचना दी गयी, जिसका अभिप्राय यह था कि कांग्रेस का ध्येय भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। इस संशोधन के प्रस्तावक पं० जवाहरलाल नेहरू और समर्थक श्री सुभाषचन्द्र बोस थे। मुख्य प्रस्ताव को महासमिति के सम्मुख महात्मा गांधी ने रखा। महात्मा जी के जोरदार और कलापूर्ण भाषण का असर यह हुआ कि संशोधन उपस्थित करने के समय नेहरू जी अनुपस्थित हो गये और श्री सुभाषचन्द्र बोस प्रस्तावक बन कर सामने आये। उन्होंने अपनी ओर से काफी जोर लगाया पर संशोधन गिर गया और मुख्य प्रस्ताव स्वीकार हो गया। यह सभी लोग अनुभव कर रहे थे कि यदि महात्मा जी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्ष में ठहराव उपस्थित करता तो वह अवश्य गिर जाता और पूर्ण स्वाधीनता का ठहराव स्वीकार किया जाता। मुख्य प्रस्ताव की सफलता प्रस्ताव में माने गये ध्येय की सफलता नहीं थी, वह महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की सफलता थी, देखने में असफल होकर भी वस्तुतः संशोधन सफल भी हुआ क्योंकि प्रस्ताव

रूप निम्नलिखित हो गया था।

सर्वदल समिति की रिपोर्ट में शासन विधान की जो तजवीज पेश की गयी है उस पर विचार करके कांग्रेस उसका स्वागत करती है—यद्यपि यह कांग्रेस मद्रास कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता के निश्चय पर कायम है फिर भी यह कमेटी द्वारा तैयार किये गये विधान को राजनैतिक प्रगति की दिशा में एक बड़ा पग मानकर उसे अपनाती है।

परन्तु यदि यह विधान ३१ दिसम्बर १९२९ तक या उससे पहले नहीं माना गया तो कांग्रेस उससे बाधित न होगी और यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट उस तारीख तक उस विधान को मंजूर न करेगी तो कांग्रेस देश को यह सलाह देकर कि वह सरकार को हर प्रकार की सहायता देना बन्द कर दे, अहिंसात्मक असहयोग को जारी कर देगी।

१९२९ का सारा वर्ष राष्ट्र के लिये प्रतीक्षा का वर्ष था सारा देश बड़ी उत्सुकता से देख रहा था कि कलकत्ते में कांग्रेस ने सरकार की ओर समझौते का जो हाथ बढ़ाया है सरकार उसे थामती है या नहीं? इधर लन्दन में गोलमेज कान्फ्रेंस की बात भी आकाश में घूमने लगी थी। सरकार और नेताओं के बीच बातचीत का ताना बाना लगभग वर्ष भर से जारी रहा परन्तु उसका परिणाम कुछ भी न निकला। सरकार का परनाला वहीं रहा पंच लोग चिल्ला चिल्ला कर रह गये।

पूर्ण स्वाधीनता के पथ पर

१९२९ के दिसम्बर मास के अन्त में रावी के तट पर कांग्रेस का वृहद् अधिवेशन हुआ। भारत की नई सन्तति के नेता पं० जवाहरलाल नेहरु उसके अध्यक्ष चुने गये। अध्यक्ष का चुनाव स्वयं ही इस बात की सूचना दे रहा था कि राष्ट्र नीति के सम्बन्ध में भूतकाल से अपना नाता तोड़ना चाहता है। अधिवेशन में ही ३१ दिसम्बर का दिन आ गया। उस दिन शाम के समय कांग्रेस की बैठक आरम्भ हुई। मुख्य प्रस्ताव पर गर्मागर्म बहस होती रही। बहस ही बहस में रात के १२ बज गये, ३१ दिसम्बर की रात को १२ बजकर एक सेकंड पर १९२८ के अंत में दिया हुआ वर्ष भर का नोटिस समाप्त हो गया। वर्षभर हो गया और सरकार ने औपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा नहीं की। इसलिए जोश के उमड़ते हुए तूफान और तालियों की गड़गड़ाहट में कांग्रेस ने निम्नलिखित शब्दों में पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा की।

औपनिवेशिक स्वराज्य के सम्बन्ध में ३१ अक्टूबर को वायसराय साहिब ने जो घोषणा की थी और जिस पर कांग्रेस

तथा अन्य दल के नेताओं ने सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया था उस सम्बन्ध में की गयी कार्य समिति की कार्यवाही का यह कांग्रेस समर्थन करती है और स्वराज्य के राष्ट्रीय आन्दोलन को निपटाने के लिए वायसराय की कोशिशों का आदर करती है परन्तु इसके बाद जो घटनाएं हुई हैं और वायसराय के साथ महात्मा गाँधी पं० मोतीलाल नेहरु और दूसरे नेताओं की मुलाकात का जो परिणाम निकला है उस पर विचार करने पर कांग्रेस इस नतीजे पर पहुंची है कि सम्प्रति प्रस्तावित गोल-मेज कांफ्रेंस में कांग्रेस के शामिल होने से कोई लाभ नहीं। इसलिए गत वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में किए गए निश्चय के अनुसार यह काँग्रेस घोषणा करती है कि—

काँग्रेस विधान की पहली धारामें स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा। कांग्रेस यह भी घोषणा करती है कि नेहरु कमेटी की रिपोर्ट में वर्णित सारी योजना खत्म समझी जाय। कांग्रेस आशा करती है अब समस्त कांग्रेसवादी अपना सारा ध्यान भारतवर्ष की पूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करने में ही लगायेंगे.....

कांग्रेस की इस स्वाधीनता-घोषणा के पश्चात हमने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष में निरन्तर संलग्न पाया। इस बीच में कांग्रेस ने कितनी ही बार राजनैतिक सत्ता पूर्णतया भारतीयों के हाथ में सौंपने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सन १६३६ में, जब योरोप में युद्ध आरम्भ हुआ उस अवसर पर कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण निर्णय करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध उद्देश्यों की घोषणा न करने के विरोध-स्वरूप कांग्रेस ने ११ प्रान्तों के शासन को त्याग दिया। इस अवसर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने की चर्चा हुई। इसी चर्चा पर गम्भीरता पूर्वक सोच विचार होता रहा और अन्त में "भारत छोड़ो" प्रस्ताव के रूप में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन ने यह कदम उठाया।

———

सन १९४२ की चिन्गारियाँ

अगस्त १९४२ की आधी रात को कांग्रेस महासमितिने ७ ८ महत्व पूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया था। अगले दिन ९ अगस्त को प्रातःकाल कांग्रेस कार्य समितिके समस्त सदस्य महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेस नेताओं को बम्बई में गिरफ्तार कर लिया गया। न केवल बम्बई में बरन सारे देश मेंएक साथ कांग्रेस के सभी कार्य कर्त्ता और पदाधिकारी गिरफ्तार कर लिए गये। गिरफ्तारी का यह समाचार समस्त देश में बिजली की तरह फैल गया। १० अगस्त को दिल्ली तथा संयुक्त प्रान्त के कतिपय इलाको मे जनता ने अपने नेताओ कीं गिरफतारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। किन्तु ११ अगस्त के बाद जनता सभाओं और जलूसों से आगे बढ गयी। उधर सरकार जुल्म पर उतर आई और ज्यों ज्यों जुल्म बढता गया जनता का उत्साह भी बढता गया पटरियो का उखाड़ना शुरू होगया तार काटें जाने लगे पुलिस के सरकारी अफसरों का खून होने लगा। सरकारी इमारतें फूकीं जाने लगीं रेलवे स्टेशन व बैंक लूटे

जाने लगे यह सभी काम देश के कौने कौने में हुआ। सन १९४२ का आन्दोलन कांग्रेस के नेतृत्व में स्वाधीनता का सबसे बड़ा आन्दोलन था। इस आन्दोलन का प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा और इसके बाद देश में जो कुछ हुआ वह बराबर स्वाधीनता की ओर एक प्रगति कहा जा सकता है। इसके बाद लार्ड वेवेल इगलैण्ड गए और भारत का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिये वे भारत के हाथ में राजनैतिक सत्ता सौंपने के लिए कुछ प्रस्ताव लाये शिमला में राजनैतिक सम्मेलन बड़े जोर शोर से हुआ। काँग्रेस मुसलिम लीग के समझौते पर इन प्रसतावों का कार्य रूप में परिणत होना निर्भर था। पर मुसलिम लीग की सार्वभौम वाली नीति के कारण यह शिमला सम्मेलन असफल हो गया।

ब्रिटिश सरकार की झूठी प्रतिज्ञाएं

इसके बाद इंगलैण्ड में एक नयी सरकार की स्थापना हुई और एक नयी मजदूर दली सरकार ने भारत को पूर्ण स्वराज्य देने का वचन दिया। इसी प्रतिज्ञा के आधार पर भारत में कैबिनेट मिशन आया। ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत के विषय में यह कोई नयी प्रतिज्ञा नहीं थी। १८५७ के स्वातन्त्र्य युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्णतया अपने हाथों में लिया तब से अब तक वह भारत को समय२ पर सुधार देने के कभी न पूरे होने वाले वायदे करती रही जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं।

१ नम्बर १८५८ विक्टोरिया महारानी

हम अपने धर्म को स्वीकार करने के लिए अपनी प्रजा को विवश नहीं करेंगे। हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी अपनी इच्छा और हमारी प्रसन्नता इस बात में हैं कि किसी व्यक्ति

को धार्मिक विश्वास और धारणाओं के कारण सताया नहीं जायगा और न किसी के साथ कोई विशेष पक्षपात किया जायगा। सभी को कानून के मातहत समान और निष्पक्ष संरक्षण प्राप्त होगा। हम अपने समस्त कर्मचारियों को यह हिदायत देंगे कि वे धार्मिक विश्वास व पूजापाठ की विधि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें

हमारी यह भी दृढ़ अभिलाषा है कि हमारी प्रजा को बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के हमारी सेवा में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नियुक्त किया जायेगा। नियुक्ति के समय केवल शिक्षा योग्यता, कार्यतत्परता और ईमानदारी का ही ख्याल रक्खा जाएगा।

२५ अगस्त १९११ लार्ड हार्डिंग वायसराय

भारत के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की योजना में सरकार प्रान्तीय स्वतंत्रता के सिद्धान्त को स्वीकार करती है।

२० अगस्त १९१७ ला० मांटेगू (भारत मन्त्री)

भारत में अंग्रेजी राज्य का अन्तिम लक्ष्य शासन के प्रत्येक विभाग में अधिक से अधिक हिन्दोस्तानियों को शामिल करना व हिन्दुस्तान में स्वशासन की, ऐसी क्रम बद्ध उन्नति, जिसके परिणाम स्वरूप वह अँग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए पूर्ण उत्तरदायी शासन पा और अग्रसर हो सके, होगा। इस

नीति में प्रगति क्रमशः ही अर्थात सीढ़ी दर सीढ़ी होगी। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार ही, कब और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए इस बात के निर्णायक होंगे।

६ फरवरी १६२१ जार्ज पञ्चम सम्राट

वर्षों से—या सम्भवतः पीढ़ियों से देशभक्त और राजभक्त भारतीय अपने देश के लिए स्वराज्य का स्वप्न ले रहे हैं। आज मेरे साम्राज्य के अन्तर्गत स्वराज्य का आपने श्री गणेश प्राप्त किया है। मेरे अन्य उपनिवेशों को प्राप्त स्वाधीनता की दिशा में उन्नति का विशाल क्षेत्र और पर्याप्त अवसर भी आपको आज प्राप्त हुआ है।

२ जुलाई १६२८ रैमसे मेकडानल्ड (प्रधान मंत्री)

मुझे आशा है कि वर्षों नहीं कुछ महीनों में हमारे राष्ट्रों के कामनवेल्थ में एक नया उपनिवेश सम्मिलित हो जायगा। यह उपनिवेश विभिन्न जाति का होगा, जो कामन वेल्थ में समान आदर व स्थिति का पात्र होगा। मैं भारत की चर्चा कर रहा हूँ।

जून १६२६ जार्ज पंचम सम्राट

हमारी सर्वोपरि इच्छा और प्रसन्नता इसमें है कि हमारे साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए ब्रिटिश भारत को क्रमशः उत्तरदायी शासन प्राप्ति के लिए पार्लियामेंट ने जो योजना बनाई है

वह इस प्रकार सफल हो कि हमारे उपनिवेशों में ब्रिटिश भारत को भी योग्य स्थान मिले।

३१ अक्टूबर १९२९ लार्ड इरविन वायसराय

ब्रिटिश सरकारके इरादों के सम्बन्ध में ग्रेट ब्रिटेन व भारत में फैले हुए संदेह को दूर करने के लिए ब्रिटिश सम्राट की सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित कर देने का अधिकार दिया है कि १९१७ की घोषणा में यह अभिप्राय असंदिग्ध रूप से है कि भारत को अन्त में उपनिवेश का दर्जा मिले।

लार्ड बैलबुडबैन [भारतमन्त्री] १८ दिसम्बर १९२९

भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य की प्राप्ति कई बार घोषित किया गया है, हमें यह औपनिवेशिक स्वराज्य क्रिया में लाना चाहिए।

५ मार्च १९३१ लार्ड इरविन वायसराय

विधान संबंधी प्रश्न पर सम्राट सरकारकी अनुमति से तय हुआ है कि हिन्दुस्तान के वैध शासन की उसी योजना पर आगे विचार किया जायेगा, जिस पर गोल मेज परिषद में पहले विचार हो चुका है। वहां जो योजना बनी थी संघ शासन उसका अनिवार्य अंग है। इसी प्रकार भारतीय उत्तरदायित्व और भारत के हित की दृष्टि से रक्षा वैदेशिक मामले,

अल्प संख्यक जातियों की स्थिति भारत की आर्थिक साख और जिम्मेदारियों की अदायगी जैसे विषयों के प्रतिबन्ध या संरक्षण भी उसके आवश्यक भाग है।

१७ अप्रैल १९३१ लार्ड विलिंगडन वायसराय

ब्रिटिश सरकार की परम अभिलाषा है कि भारत उत्तर-दायी शासन के उद्देश्य तक प्रगति करता सम्राट की छत्रछाया में अन्य उपनिवेशों की भाँति पूर्ण समान स्थिति तक पहुंच जाय।

अप्रैल १९३९ लार्ड जटलैंट [भारत मन्त्री]

ब्रिटिश सरकार भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के निश्चय पर आज भी कटिबद्ध है।

लार्ड लिनलिथगो वायसराय ११ सितम्बर सन १९३९

ब्रिटिश सम्राट सरकार का उद्देश्य यथापूर्व संघ विधान अबभी है। लेकिन वर्त्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विषय व परिस्थितियों में और अपने सामने आये हुए असाधारण कार्य को देखते हुए संघ विधान को अपना उद्देश्य मानते हुए भी उसकी तैयारियों को स्थगित करने के सिवाय हमारे पास कोई मार्ग नहीं।

१७ अक्टूबर १९३९ लार्ड लिनलिथगो वायसराय

युद्ध के उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं किये जा सकते लेकिन भारत

को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की तिज्ञा पर ब्रिटेन अब भी स्थिर है।

अक्टूबर १९३९ लार्ड लिनलिथगो वायसराय

वे (लार्ड इरविन के वक्तव्य में औपनिवेशिक स्वराज्य के उद्देश्य सम्बन्धी शब्द) स्पष्ट और विधायक हैं। वे पार्लियामेण्ट के रेकार्ड में लिखे हुए हैं। वे भारत के भावी वैधानिक विकास के सम्बन्ध में ब्रिटिश सम्राट की सरकार की नीति को निश्चित और स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित करते हैं। मैं इसमें केवल इतना परिवर्त्तन और करना चाहता हूँ कि गवर्नर जनरल के नाते ब्रिटिश सम्राट ने १९३७ में मुझे जो हिदायतें दी हैं उनमें लिखा था कि हमारे साम्राज्य के अन्तर्गत भारत और इंगलैण्ड में साझेदारी को यहाँ तक बढ़ाया जाय कि भारत हमारे उपनिवेशों में उचित स्थान प्राप्त करले। मुझे ब्रिटिश सम्राट की सरकार ने यह कहने का भी अधिकार दिया है कि युद्ध के बाद सरकार भारत की विभिन्न जातियों, दलों, और हितों के प्रतिनिधियों तथा देशी राजाओं से विचार विनिमय करेगी ताकि वांछनीय सुधारों तक पहुंचने उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके।

१० जनवरी १९४० लार्ड लिनलिथगो वायसराय

हिन्दुस्तान में अंग्रेजी नीति का लक्ष्य युद्ध के समाप्त होने के बाद, कम से कम समय में पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य को

स्थापना करना है।

अगस्त १९४० लार्ड लिनलिथगो वायसराय

नये विधान के बनाने के लिए युद्ध के बाद एक प्रतिनिधि भारतीय संस्था का निर्माण आवश्यक होगा और इस बीच अंग्रेजी सरकार उन प्रयत्नों का स्वागत और उनसे सहयोग करेगी जो विधान बनाने वाली इस संस्था की रूप रेखा कार्य पद्धति के सम्बन्ध में देश में एक मत बनाने की दिशा में किये जायेंगे।

कोई भी वैधानिक योजना अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं की जायगी। हिन्दुस्तान के भावी विधान के निर्माण का उत्तरदायित्व प्रधानतः हिन्दुस्तानियों पर ही होगा और उसका आधार भारतीय जीवन को अभिव्यक्त करने वाली सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं की भारतीय कल्पनाओं पर ही होगा। लेकिन साथ ही अंग्रेजी सरकार अपने इन कर्त्तव्यों और अधिकारों को भी नहीं भुला सकेगी जो उसने हिन्दुस्तान के साथ के अपने दीर्घ कालीन सम्पर्क में प्राप्त किये हैं।

९ सितम्बर १९४१ चर्चिल प्रधान मंत्री

संयुक्त घोषणा पत्र (एटलांटिक चार्टर) किसी भी स्थिति में उन विविध पत्रों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा जो समय २ पर भारत बर्मा तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों के समय

में दिये गये हैं। एटलांटिक चार्टर केवल उन्हीं राष्ट्रों पर लागू होगा जो आज नाजीचक्र के शिकार हो गये हैं।

मार्च १९४२ क्रिप्स प्रस्ताव

१. भारतीय संघ का दर्जा आन्तरिक व्यवस्था व विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्य उपनिवेशों की बराबरी का होगा।

२. इस भारतीय संघ के विधान का निर्माण अंग्रेजी पार्लियामेण्ट के द्वारा नहीं जनता द्वारा चुनी सभा के द्वारा होगा।

३. इस विधान निर्मात्री सभा में देशी राज्यों का भाग लेना अनिवार्य होगा।

४. इस भारतीय संघ में शामिल होने या न होने का अधिकार प्रान्तों को होगा—वे यदि चाहेंगे तो अपनी वर्त्तमान वैधानिक स्थिति को कायम रख सकेंगे, और बाद में भी भारतीय संघ में शामिल होने की उन्हें स्वाधीनता होगी। यदि वे चाहेंगे तो अपने लिए एक अलहदा विधान बना लेने का अधिकार भी उन्हें होगा।

५. इस विधान निर्मात्री सभा और अंगरेजी सरकार के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किये जायेंगे; जिसमें उन सब आवश्यक बातों का लेखा होगा जो अंगरेजों के हाथ से सत्ता के सम्पूर्ण रूप से दिये जाने से सम्बन्ध रखती हों।

६. इस संधि में अंगरेजी सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों

के आधार पर जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों केसंरक्षण का पूरा निर्वाह होगा।

७ युद्ध के समाप्त होने पर प्रान्तीय चुनाव होंगे और उसके फौरन बाद ही प्रान्तीय धारा—सभाओं के नीचे के चेम्बर के समस्त सदस्य मिलकर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एक विधान निर्मात्री सभा का चुनाव करेंगे जिसके सदस्यों की संख्या चुनाव करने वाली सभा का दशमांश होगा।

८ यदि प्रमुख सम्प्रदायों के नेता विधान निर्मात्री सभा के चुनाव के लिये किसी अन्य सिद्धान्त पर सहमत हो सकें तो उसे स्वीकृत किया जा सकेगा वैसा न होने पर उसका चुनाव उपयुक्त पद्धति से ही होगा।

इस विधान निर्मात्री सभा ने भारतीय राज्यों को अपनी आबादी के उसी अनुपात में प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के सदस्य चुने गये होंगे और उन्हें अधिकार भी वैसे ही होंगे जैसे ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को।

१४ जून १९४५ लार्ड वेवल वायसराय

अंग्रेजी सरकार की मन्शा हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य की ओर ले जाने की है और वह किसी प्रकार का वैधानिक समझौता उस पर लादना नहीं चाहती।

१४जून १९४५ मि एमरी भारत सचिव

१९४२ का मार्च प्रस्ताव अबतक यथापूर्व कायम है। इस

प्रस्ताव के आधार दो मुख्य सिद्धान्त है।

भारत की स्वतन्त्रता पर किसी की पाबन्दी नहीं है वह हम निश्चय करनेमें स्वतंत्र है कि वह कामन वेल्थ में स्वतन्त्रसाझ यह बन कर रहेगा या ब्रिटेन से सम्बन्ध विच्छेद करके पूर्ण स्वतन्त्र राष्ट्र बनना चाहाता है, दूसरा सिद्धान्त यह है कि इस स्वतंत्रता केवल भारतीयों द्वारा एक या अनेक विधान बना कर ही प्राप्त की जा सकती है। सभी श्रेणियो की सहमति इसमें आवश्यक होगी। ये सिद्धान्त अपने क्षेत्र आदि की दृष्टि से पूर्ण है उस विधान में कभी बेशी करने का अधिकार किसी को न होगा।

१६ सितम्बर ९४५

ब्रिटिश सरकार की इच्छा है कि जल्दी एक विधान निर्मात्री परिषदकी आयोजना की जाय और उसके प्रारंभिक कदम स्वरूप मुझे यह अधिकार दिया गया है कि चुनावों के एक दम बाद मैं प्रान्तीय असेम्बलियों के प्रतिनिधियों में से परामर्श करूं कि क्या वे १९४२ के प्रस्तावों को स्वीकृत करते हैं? यदि नही तोवो उसमें क्या संशोधन चाहते है।

मुझे सम्राट की सरकार ने यह भी अधिकार दिया है कि भारत की प्रमुख पार्टियों के सहयोग से मैं अपनी समिति का पुन संगठन करूं इसका अर्थ है कि सम्राट की सरकार यथा

संभव शीघ्र से शीघ्र भारत को स्वशासन देने के लिये कृत निश्चय है।

ब्रिटिश सरकार ने इन प्रतिज्ञाओं के बावजूद भी भारत की स्वराज्य की ओर प्रगति करने में किंचित मात्र भी सहायता न की। इंग्लैंड में युद्ध की समाप्ति के बाद मजदूर सरकार की स्थापना हुई और इस सरकार की तरफ से प्रधान मन्त्री श्री क्लीमेन्ट एटली ने १५ मार्च १९४६ को ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में फिर एक महत्व पूर्ण घोषणा की।

"हिन्दुस्तान को इस बात का चुनाव करना है कि उसका भविष्य क्या होगा और दुनियां में उसने क्या स्थान प्राप्त करना है। वह ब्रिटिश कामनवैल्थ का सदस्य बना रहे यह मेरी इच्छा है और मेरी सम्मति में उनके लिए भी यही हितकर है लेकिन इसके विपरीत यदि वह कामनवैल्थ से पृथक पूर्ण स्वतन्त्रता का चुनाव करता है जैसा करने का उसे पूर्ण अधिकार है तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उसको जितनी आसानी से सत्ता सौंप सके सौंप दें।

हमें अल्पसंख्यक जातियों के हितों का पूरा ध्यान है उन्हें निर्भय होकर रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन हम किसी अल्पसंख्यक जाति को बहुसंख्यकों की उन्नति में रुकावट डालने की इजाजत नहीं देंगे।"

इस घोषणा के तुरन्त बाद ही एक कैबिनट मिशन भारत के लिए रवाना हो गया। इस मिशन के सम्बन्ध

सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स बोर्ड आफ ट्रेड के प्रेसीडेण्ट, भारत मंत्री लार्ड पैथिक लारेन्स, तथा एडमिरल्टी के पहले लार्डसर ए० वी अलेक्जैण्डर थे।

ब्रिटिश मंत्री मिशनने भारतमें आतेही अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया सर्वप्रथम उन्होंने भारत के विभिन्न दलों के नेताओं से मुलाकात की और भारतीय राजनैतिक समस्या पर दिल खोल कर बाद विवाद किया। इसके बाद कैबिनट मिशन ने अधिकृत रूप से भारत के लिए अपना योजना प्रस्तुत की।

श्री एटली की ऐतिहासिक घोषणा द्वारा दिये गये कार्य का भार पूरा करने के लिये ब्रिटिश अमात्य मंडल के सदस्य तथा वायसरायने भारत की दो बड़ी राजनैतिक पार्टियों को भारतीय एकता अथवा विभाजन के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर एकमत करनेकी भरसक चेष्टा की। देहली में ५० लम्बी बातों के बाद ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग को शिमला में एक सम्मेलन के रूप में आमन्त्रित करने में सफल हो गया। इस सम्मेलन में विचारों और दृष्टिकोणों का पूर्ण रूप से विनिमय हुआ और दोनों राजनैतिक दलों की ओर से समझौता करने की उत्सुकता समान रूप से प्रकट की गई परन्तु अन्त में किसी निश्चित समझौते पर पहुंचना असम्भव प्रमाणित हुआ यद्यपि दोनों दलों में कोई समझौता नहीं हो सका तथापि हम यह अपना कर्तव्य समझते हैं कि शीघ्र से शीघ्र भारत का नवीन विधान निर्माण करने का प्रबन्ध किया जाय। हमने यह वक्तव्य सम्राट सरकार की पूर्ण स्वीकृति के बाद जारी किया है।

इतके साथ ही साथ हमने यह भी निश्चय किया है कि बहुत जल्दही ऐसा प्रबंध कर दिया जाय जिससे भारतीय अपने शासन विधान का निर्माण कर सकें अतः तबतक के लिये शासन कार्य चलाने को तुरन्त ही भारतीयों की एक अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना करदी जाय। हमने अपनी ओर से भारत की छोटी से छोटी जाति और यहां के आम लोगों के प्रति न्यायप्रिय रहने की चेष्टा की है, इसके साथ ही साथ समस्या के हल के लिये हम ऐसी योजना की सिफारिश करना चाहते हैं जो भारत के उज्ज्वल भविष्य निर्माण करने में सहायक हो। इसके साथ ही साथ वह राजनैतिक सामजिक, व आर्थिक क्षेत्रों में भी प्रगति कर सके।

इस वक्तव्य में हमारा यह प्रकट करने का कतई इरादा नहीं है कि हम मिशन के सामने पेश की गई भिन्न भिन्न तजवीजों को बतायें, पर हम यह अवश्य बताना चाहते हैं कि मुस्लिम-लीग के समर्थकों के अलावा चारों ओर से इस बात की जबरदस्त इच्छा प्रकट की गयी है कि भारत का विभाजन न किया जाय। इस दृष्टकोण से हम भारत के बिभाजन की सम्भावना को निकट और निकट से विचार करने से जी नहीं चुराते, क्योंकि हम मुसलमानों के इस डर को ठीक मानते हैं कि कहीं ऐसा न हो वे एक हिन्दू बहुमत शासन के गुलाम हो जायें। मुसलमानों में यह भावना इतनी मजबूत और इतने व्यापक रुप से फैल गई है कि इसे केवल कागज पर लिख देने की गारण्टी

से नहीं हटाया जा सकता। यदि भारत में आन्तरिक शान्ति स्थापित करनी है, तो मुसलमानों की संस्कृति, धर्म, आर्थिक तथा राजनैतिक हितों की रक्षा की गारण्टी अवश्य करनी पड़ेगी।

अतएव हमने सबसे पहले मुसलिम लीग के दावे के अनुसार भारत के विभाजन 'पाकिस्तान' के प्रश्न पर विचार किया। इस पाकिस्तान में दो सीमायें सम्मलित होती। एक तो उत्तरी पश्चिमी भाग जिसमें पंजाब, सिन्ध, सीमाप्रांत और ब्रिटिश बिलोचिस्तान और दूसरा उत्तरी पूर्वी भाग जिसमें बंगाल और आसाम प्रांत शामिल होंगे सीमाओं के प्रश्न पर मुसलिमलीग कुछ परिवर्तन करने को तैयार थी पर उसने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान का सिद्धांत स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके समर्थन में लीग ने दो मुख्य दलीलें पेश कीं एक तो यह कि मुसलिम बहुमत के अधिकारों तथा उनकी इच्छा के अनुसार उनकी गवर्नमेण्ट बनाने की उनको स्वतंत्रता और दूसरे पाकिस्तान को आर्थिक प्रबन्ध की दृष्टि से सफल बनाने के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों वाले प्रान्त की सीमाओं का निर्धारण।

नीच लिखी संख्या के अनुसार गैर मुसलिम अल्पसंख्यकों वाले ६ प्रान्त पाकिस्तान में सम्मिलित हो जायेंगे।

'उत्तरी पश्चिमी भाग

	मुसलिम	गैर मुसलिम
जाब	१६,२१७२४२,	१२,२०१५७७

सीमा प्रान्त	२७८८७१७,	२४६२५०
सिंध	३,२०८३२५ १३२६,६८३	
	४३६,६३०	६२,७०१
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	४१८,८३०	६२,७०१

उत्तरी पूर्वी क्षेत्र

बंगाल	३३,००५,४३४	२७३०१,०६१
आसाम	३४४१४७६	६०६२२२४
	३६४४७६१३	३४०६३३४५
	५१·६६ प्रतिशत	४८·३१ प्रतिशत

ब्रिटिश भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या १८८ मिलियन की कुल संख्या में कुल २० मिलियन रह जायगी। इन आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि मुस्लिम लीग के दावे के अनुसार यदि पाकिस्तान एक अलग स्टेट बना भी दी जाय तो इससे अल्पसंख्यक तथा साम्प्रदायिक समस्या हल न होगी नहीं यह न्याय संगत है कि हम पाकिस्तान की सीमा में पंजाब बगाल और आसाम जैसे प्रान्तों को सम्मिलित करलें जहाँ कि आबादी अधिकतया गैर-मुस्लिम ही है जो भी दलील पाकिस्तान के पक्ष में दी जायगी वही दलील गैर मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान से अलग करने के प्रश्न पर लागू होती है। और इससे सिखों की स्थिति पर विशेष प्रभाव हो जायगा।

अतः हमने इस बात पर विचार किया कि मुस्लिम बहुमत प्रधान क्षेत्रों की एक स्वतंत्र पाकिस्तान स्टेट के निर्माण का प्रश्न कोई समझौते की बातचीत का आधार हो सकता है अतः हम इस परिणाम पर पहुंचे है कि न तो पाकिस्तान की कोई बड़ी स्टेट और न कोई पाकिस्तान की छोटी स्टेट साम्प्रदायिक समस्या का हल निकाल सकती है।

पाकिस्तान के दावे को कुछ और कारणों से अस्वीकृत किया जाता है इनमें आर्थिक प्रबन्ध और सैनिक नियन्त्रण प्रधान हैं भारतवर्ष का समस्त यातायात एक अखण्ड हिन्दुस्तान के आधार पर निर्माण किया हुआ है इस यातायात सम्बन्धी प्रबन्ध को तोड़ना भारतवर्ष के दोनों भागों को हानि पहुंचायेगा। एक संयुक्त संरक्षण का मामला भी अधिक मजबूत है। भारतीय सशस्त्र सेना समस्त भारत की रक्षा के लिए संगठित की गई है। इन सेनाओं को दो भागों में विभक्त करने से भारतीय सेना की उत्तमता तथा उसकी वर्षों से चली आ रही शान नष्ट हो जायगी और भारत की रक्षा के लिए बहुत से खतरे पैदा हो जायेंगे। भारत की जल सेना, तथा वायुसेना का प्रभाव कम हो जायगा। पाकिस्तान के दो हिस्से भारत की दो महत्त्वपूर्ण सीमा हो जायेंगे और इन दो सीमाओं की रक्षा की दृष्टि से पकिस्तान अपर्याप्त रहेगा।

पाकिस्तान के दावे को मानने में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारतीय रियासतों के लिये यह तय करना कठिन

हो जायगा कि विभाजित हिन्दुस्तान में वे किसके साथ मिले ?

अन्तिम रूप से यह एक भौगोलिक तथ्य है कि पाकिस्तान के अनुसार भारतवर्ष के दो भाग करीब २०० मील तक की अलग अलग सीमाए बनायेंगे और युद्ध तथा शान्ति में यातायात के तमाम साधनों का जारी रहना हिन्दुस्तान की सदइच्छा पर निर्भर रहेगा।

अतः हम ब्रिटिश सरकार को यह राय देने में सर्वथा असमर्थ हैं कि जो राजनैतिक शक्ति उनके हाथ में है उसे वे दो अलग अलग राज्यों के हाथ सौंप दे।

हम इस निर्णय के बाद मुसलमानों के इस डर से अपनी आँख नहीं बन्द कर सकते कि मुसलमानों की संस्कृति उनकी सामाजिक स्थिति हिन्दू प्रधान शासन में दब कर रह जायेगी। इस डर को दूर करने के लिये काँग्रेस ने एक योजना रक्खी है जिसके अनुसार प्रान्तों को कुछ थोड़े से मामले छोड कर जैसे वैदेशिक रक्षा तथा यातायात सभी मामलों में अधिक से अधिक खुद मुख्त्यार तथा स्वतंत्रता रहेगी।

इस योजना के अन्तर्गत यदि कोई प्रान्त चाहेगा तो केन्द्र में किसी बड़ी आर्थिक योजना में भाग ले सकेगा।

इसके अतिरिक्त कोई प्रान्त केन्द्रीय सरकार के अधिकार से बाहर किसी विषय पर जो कि आवश्यक हो स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है। इतना सब होते हुए भी हमारी राय से इस योजना में कई विधानिक आपत्ति हैं। ऐसी अवस्था में केन्द्र

में इस तरह का प्रबन्ध करना बहुत मुशकिल हो जायेगा जिससे जरूरी मामलों पर प्रान्तों के मन्त्री अलग अलग अपने प्रान्तों के लिये जिम्मेदार हों। यह कठिनाई केन्द्रीय धारा सभाओं में उस समय भी उपस्थित होगी जब किसी प्रान्त के बारे में उस प्रान्त के मंत्रियों से अलग निष्पक्ष रूप से कुछ कहने का अवसर आयगा। इस कठिनाई के अतिरिक्त भी सबसे बड़ी कठिनाई यह होगी कि यह उन प्रान्तों के लिए अन्यायपूर्ण होगा। जो प्रान्त केन्द्र में नहीं आना चाहते। उन्हें अलग रूपसे अपना गुट बनाने की स्वतंत्रता से हमें इन्कार नहीं करना चाहिए। आगे किसी समस्या पर सिफारिश करने से पहले हम ब्रिटिश भारत के और देशी रियासतों के सम्बन्ध के विषय में कुछ करना चाहते हैं। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि, ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद चाहे भारत ब्रिटिश कामनवेल्थ का सदस्य रहे या न रहे जो संधि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रियासतों से की है वह अब आगे जारी रहनी संभव न होगी। यह सन्धियें न तो ब्रिटिश सम्राट द्वारा रक्खी जा सकती हैं और न ये नई सरकार को हस्तरान्तरित की जा सकती हैं। यह बात उन लोगों ने भी पूर्णतिया अनुभव की है जो देशी रियासतों की ओर से हमसे मिले हैं। इसके साथ ही साथ देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने हमें यह भी अश्वासन दिया कि वे नवीन भारत की प्रगति में हर प्रकार से सहयोग देंगे।

भारत का नवीन विधान निर्माण करते समय देशी रियासतों की वार्ता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय होना चाहिये। अभी तक हमने देशी रियासतों के विषय में विस्तृत रूप से कुछ नहीं कहा है जितना कि ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के विषय में कहा है।

हमने समस्या के हल की ओर कुछ संकेत किया है। जो हमारी राय में भारत का नवीन विधान निर्माण करने में सहायक होगा। अतः हम भारत के विधान की निम्नलिखित रूपरेखा आपके सामने रखते हैं।

(१) समस्त भारत की एक यूनियन होनी चाहिये। इस यूनियनमें ब्रिटिश भारत और रियासतों के भी प्रतिनिधि होंगे! यह यूनियन इन विषयों के लिए जिम्मेदार होगी। वैदेशिक मामले, रक्षा, यातायात। इसके अतिरिक्त इस यूनियन को उपरोक्त विभागों के कार्य संचालन के लिये प्रान्तों से धन एकत्रित करने का अधिकार भी होगा।

(२) भारत की इस यूनियन के लिए एक वैधानिक धारा सभा होनी चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। कोई भी ऐसा प्रधान साम्प्रदायिक प्रश्न उठ खड़ा हो तो इस वैधानिक धारा सभा के निर्णय की प्रतीक्षा की जायगी। इस सभामें दोनों सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों को वोट देने का अख्त्यार होगा।

(३) यूनियन से संबंधित विषयों के अलावा प्रत्येक विषय में प्रान्तों को पूर्ण अधिकार होंगे।

(४) रियासतें युनियन को दिये गए अधिकार और विषयों के अलावा सभी विषयों और अधिकारों में स्वतन्त्र होंगी।

(५) प्रान्तों को किसी भी प्रान्त के साथ गुट बनाने की पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी। प्रत्येक गुट प्रान्तीय विषयों पर आम तौर पर अपना ध्यान केन्द्रीभूत करेगा।

(६) केन्द्रीय युनियन और प्रान्तीय गुटों के विधान में एक शर्त होनी चाहिये कि कोई भी प्रान्त अपनी धारासभा के बहुमत से से १० वर्ष के समय के बाद केन्द्रीय यूनियन के साथ अपनी वैधानिक शर्तों पर पुनः विचार कर सकता है। या प्रत्येक दस वर्ष के बाद इन शर्तों को दोहराया जा सकता है।

हमारा उद्देश्य उपरोक्त प्रोग्राम के आधार पर इस विधान की विस्तृत रूपरेखा पेश करना नहीं है पर हम ऐसी मशीनरी का निर्माण करना चाहते हैं जो भारतीयों को भारत का शासन विधान बनाने का अवसर प्रदान कर सके।

यह हमारे लिये आवश्यक होगया है कि हम भारत के भावी विधान के एक विस्तृत आधार की सिफारिश करें। क्योंकि हाल के वार्तालाप से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों मुख्य सम्प्रदायों में जब तक एकता उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक भारत के लिये एक विधान बनाने की मशीनरी की स्थापना की कोई आशा नहीं है।

अब हमारा यह विश्वास है कि भारत का भावी विधान बनाने से पहले उसके बनाने के लिये एक मशीनरी जरूर स्थापित हो जानी चाहियें।

नवीन विधान बनाने के लिये कोई भी असेम्बली बनाने का निर्णय करने से पहले यह समस्या है कि आबादी के अधिक से अधिक प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हो सकें।

इस समस्या का सबसे सन्तोषजनक और स्पष्ट हल यही था कि चुनावों का आधार वालिग मताधिकार होता पर इस दिशा में कोई भी कदम भारत के लिए नवीन विधान निर्माण में बहुत देर लगा देता। अब केवल एक ही क्रियात्मक मार्ग रह गया है और वह यह है कि मौजूदा चुनी गई धारा सभाओं को ही काम में लाया जाय। इस प्रकार के निर्माण में केवल दो ही कठिनाई हैं। एक तो यह कि प्रान्तीय धारा सभाएं प्रान्तों की आबादी के लिहाज से पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। जैसे आसाम जिस की आबादी १० मिलियन (एक करोड़) है उसकी धारा सभा में केवल १०८ सदस्य हैं। इसी तरह बंगाल की धारा सभा जिसमें २५० सदस्य हैं पर बंगाल की आबादी इस अनुपात से ६ गुना अधिक है। दूसरी कठिनाई यह है कि कम्युनिल एवार्ड के मातहत जो अल्पसंख्यक जातियों को दिया गया है कितने ही प्रान्तों की धारा-सभाओं में आबादी के अनुपात से उनके प्रतिनिधित्व की संख्या बहुत थोड़ी है। यही कारण है कि बंगाल की धारा सभा में मुसलमानों के लिए जो सीटें हैं वे ४८ प्रतिशत हैं।

जब कि बंगाल प्रान्त की आबादी का अनुपात ५५—प्रतिशत है। बहुत ही गम्भीर सोच बिचार के पश्चात इन चीजों को ठीक करने का न्यायपूर्ण तरीका यही है कि।

(अ) विधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रान्त को उसकी आबादी के अनुपात से सीट मिलनी चाहिए। इसका मोटा सा अनुमान यह है कि १ मिलियन पर १ सीट। यह करीब करीब बालिग मताधिकार जैसा ही है।

(ब) प्रान्तों की इन सीटों को प्रमुख जातियों में विभाजित कर दिया जाय। यह बटवारा इन जातियो की इन प्रान्तों में आबादी के अनुपात से हो।

(स) इस बात का प्रबन्ध कर दिया जाय कि इन जातियों में बिभाजित की गई प्रत्येक सीट का चुनाव उस प्रान्त की धारा सभा के उसी जाति के सदस्यों द्वारा होना चाहिये।

हमारा ख्याल है कि इस उद्देश्य के लिये भारत की तीन जातियों को प्रमुख मानना पर्याप्त होगा। मुस्लिम सिक्ख और साधारण जाति जिसमे, सिख और मुस्लिम शामिल नहीं है। क्योंकि छोटी अल्पसंयक जातियों का प्रान्तीय धारा सभाओं में बहुत ही कम प्रतिनिधित्व है अतः हमने पैराग्राफ २० के अन्तर्गत उन्हें सभी विषयों पर पूर्ण प्रतिनिधित्व देने का पूर्ण रुपेण प्रबन्ध किया है।

अब हमारा यह प्रस्ताव है कि नीचे लिखी तालिका के अनुसार सभी प्रान्तीय धारा सभाएं विधान निर्मात्री परिषद के लिए अपने प्रतिनिधि चुनें।

प्रतिनिधि चुनाव तालिका

सेक्शन—ए

प्रान्त		मुस्लिम	संख्या कुल
	साधारण		
मद्रास	४५	४	४६
बम्बई	१६	२	२१
संयुक्त प्रान्त	४७	८	५५
बिहार	३१	५	६३
मध्य प्रान्त	१६	१	१७
उड़ीसा	६	०	६
कुल	१६७	२०	१८७

सेक्शन—बी

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	सिक्ख	संख्या
पंजाब	८	१६	४	२८
सीमाप्रान्त	०	३	०	३
सिन्ध	१	३	०	४
कुल संख्या	६	२२	४	३५

सेक्शन—सी

प्रान्त	जनरल	मुस्लिम	संख्या
बंगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	३	१०
कुल संख्या	३४	३६	७०

ब्रिटिश भारत की संख्या २९२

अनुमानतः भारतीय रियासतों की संख्या ९३

कुल ३८५

हमारा यह इरादा है कि देशी रियासतों को विधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत की भांति आबादी के आधार पर इस सम्बन्ध में चुनाव सकाल मशवरे से होना चाहिये। शुरू शुरू में रियासतों का प्रतिनिधित्व एक परामर्श दात्री समिति के द्वारा होगा।

इस प्रकार से चुने गये प्रतिनिधियों का सम्मेलन जल्दी से जल्दी नई दिल्ली में बुलाया जायगा।

प्रारम्भिक सम्मेलन में शुरू २ की चीजें तय की जायेंगी। जैसे कि सभापति तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव, एक एडवाइजरी कमेटी की स्थापना, नागरिकों के अधिकार, इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन विभागों विभाजित हो जायेंगे। जैसा कि ऊपर ए० बी० सी० सेक्शन में दिखाया गया है।

ये सक्शन प्रान्तों के लिये प्रान्तीय विधान बनाने का कार्य प्रारम्भ करेंगे। इस विधान में यह निर्णय किया जायगा कि भिन्न भिन्न प्रांतों के गुट कौन कौन से प्रान्तीय विषयों को हाथ में ले सकते हैं। एक सबलकाजके मुताबिक प्रान्तों को गुट से बाहर आने का अधिकार होगा।

इसके बाद प्रान्तीय गुटों तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि

केन्द्रीय युनियन का विधान बनाने के लिये फिर एकत्रित होंगे।

केन्द्रीय यनियन की विधान निर्मात्री परिषद में पैराग्राफ १५ के अनुसार किसी भी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न के निर्णय के लिए प्रतिनिधियों के बहुमत की उपस्थिति की आवश्यकता होगी। और यह प्रश्न दोनों बड़े सम्प्रदायों के मत से निर्णय किया जायगा। विधान निर्मात्री परिषद के सभापती को ऐसे साम्प्रदायिक प्रश्न को तय करने का उसी हालत में अख्त्यार होगा जब कि प्रतिनिधियों का बहुमत उससे ऐसा करने की प्रार्थना करे और अपना निर्णय देने से पहले उसे फेडरल कोर्ट की सलाह लेनी आवश्यक होगी।

ज्योंही नवीन विधान का निर्माण हो जायेगा त्योंही कोई कोई भी प्रान्त अगर चाहे तो गुट से बाहर आ सकेगा पर इस का निर्णय प्रश्न को उस धारा सभा के सदस्यों द्वारा किया जायगा जिसका चुनाव नवीन विधान के मातहत होगा।

नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यकों का प्रश्न तथा सीमा निर्धारण पर जो सलाहकार समिति बिठाई जायगी उसमें इस से अलग में आनेवाले क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी होंगे। इस कमटी का यह कार्य होगा कि यह इन महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर केन्द्रीय युनियन विधान निर्मात्री परिषद को रिपोर्ट करे। और अल्पसंख्यकों की रक्षा, कवाले वाले क्षेत्र तथा सीमा से बाहर आने वाले स्थानों को।

प्रबन्ध योजना और इस सम्बन्ध में सलाह दें कि ये अधिकार प्रान्तों, प्रान्तीय गटों या केन्द्रीय यूनियन को होने चाहियें।

वायसराय महोदय शीघ्र ही प्रान्तीय धारा सभाओं से अपने प्रतिनिधि चुनने तथा देशी रियासतों को एक परामर्शदात्री कमेटी के निर्माण के लिए कहेंगे।

यह आशा की जाती है कि विधान निर्मात्री परिषद का कार्य तेजी से प्रारम्भ हो जायगा ताकि अन्तर्कालीन समय थोड़े से थोड़ा हो।

ब्रिटिश सरकार तथा केन्द्रीय यूनियन विधान निर्मात्री परिषद के बीच में एक सन्धि हो जाय ताकि राजनैतिक शक्ति हस्तरन्तारित करने के कुछ विषयों पर विचार किया जा सके।

जब कि यह वैधानिक प्रगति की ओर भारत वर्ष बढ़ रहा होगा इस बीच में समस्त देश का शासन प्रबन्ध तो चलता रहना चाहिये। हम इस बात की सख्त जरूरत समझते हैं कि अन्तर्कालीन सरकार के लिए भारत में एक ऐसी सरकार की स्थापना की जाय जिसे भारत की प्रमुख राजनैतिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त हो। दैनिक प्रबन्ध की कठिनाई के अलावा भारत वर्ष को आने वाले अकाल का सामना करना है, बहुत से ऐसे युद्धोत्तर पुनः निर्माण के प्रश्न तय करने हैं, जिसका बहुत बड़ा

इस भारत के भविष्य पर पड़ेगा इसके अलावा बहुत ऐसे अन्तराष्ट्रीय सम्मलन हैं, जिनमें भारत का प्रतिनिधित्व करना है। इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए भारत में एक लोक प्रिय सरकार का रहना आवश्यक है। वायसराय महोदय ने इस कार्य को पूरा करने के लिये वार्तालाप प्रारम्भ कर दिया है और आशा की जाती है भारत में शीघ्र ही ऐसी अन्तकालीन सरकार की स्थापना हो जायगी जिसमें युद्ध मन्त्री सहित सभी विभाग भारतीयों के हाथ में होंगे जिनको भारत की अधिकांश जनता का समर्थन प्राप्त होगा। ब्रिटिश सरकार परिवर्तनों की गम्भीरता को अनुभव करती है और वह भारत में इस प्रकार की बनाई गई सरकार को शासन प्रबन्ध चलाने के कार्य में पूर्ण सहयोग देगी, और भारत को शीघ्रता शीघ्र संक्रान्ति काल पार करने में सहायक होगी।

भारतीय जनता के नेताओं को जिन्हें अब पूर्ण स्वाधीनता का अवसर मिला है, हमारा अन्तिम रूप से यही कहना है कि हम और हमारी सरकार को यही आशा है कि समस्त भारतीय ऐसे विधान की निर्माण करने में एक मत होंगे जिसमें उन्हें रहना है, हमने भारतीय राजनैतिक पार्टियों के साथ परिश्रम किया उससे अधिकाधिक सद्भावना तथा सन्तोष उत्पन्न होना सम्भव नहीं हो सका। इस लिये हम आपके सामने ये प्रस्ताव

प्रस्तुत करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये प्रस्ताव पूर्ण सोच विचार के पश्चात् आपको पूर्ण स्वीकृति तक पहुंचा देंगे।

हम यह मानते हैं कि हमारे ये प्रस्ताव भारत के समस्त राजनैतिक दलों को पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं कर सकते पर भारत वर्ष में इतिहास के इस नाजुक समय में राजनीतिज्ञता का यह तकाजा है कि हम एक नैतिक एकता की आवश्यकता अनुभव करें। और हम आपसे यह मांग करते हैं कि आप इन प्रस्तावों की स्वीकृति के सिवाय कोई अन्य उपाय सोचें। आखिर हमने और भारत की राजनैतिक पार्टियों ने एक साथ शान्ति पूर्ण समझौते के जो प्रयत्न किये हैं उनसे यह बहुत कम आशा है कि भारत की राजनैतिक पार्टियों में कोई शान्तिपूर्ण समझौता हो जायगा। अतः उसका दूसरा परिणाम हिंसा मार काट और यहां तक कि गृह युद्ध के खतरे को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता पर यह निश्चित है कि करोड़ों भारतवासियों, स्त्रियों और बच्चों के लिये यह भयानक दुर्घटना होगी। यह एक ऐसी सम्भावना है जिसे स्वयं भारतवासियों, हमारे देश वासियों तथा समस्त संसार को अनुभव करना चाहिये। अतः हम आपके सामने यह प्रस्ताव जिस भावना से प्रस्तुत कर रहे हैं, आशा है उसी भावना और सहयोग से आप इन प्रस्तावों को स्वीकार कर इन पर अमल करेंगे। हम उन सब लोगों से

हम अनुभव करते हैं कि तब तक दोनों दलों को मिलने के लिए कहना बेकार है जब तक हम उनके सामने समझौते का एक ऐसा आधार न रक्खें जिस पर मतैक्य हो सके। इस लिए मुझे मुस्लिम लीग को मन्त्री मिशन और वायसराय से तथा कांग्रेस कार्य समिति के ४ सदस्यों के साथ मिलने के लिए ४ प्रतिनिधि भेजने का निमन्त्रण देने का कहा गया है ताकि निम्न आधार भूत सिद्धान्तों पर आधारित योजनाओं पर मतैक्य की सम्भावना के लिए विचार किया जा सके।

ब्रिटिश भारत का भावी सांविधानिक ढांचा निम्न प्रकार हो।

एक केन्द्रीय संघ सरकार जिसके आधीन निम्न विषय होंगे।

विदेशी मामले, रक्षा और यातायात। प्रान्तों के दो गुट होंगे, एक हिन्दू बहुल प्रान्तों का और दूसरा मुस्लिम बहुल प्रांतों का जिनके आधीन वे सब विषय होंगे जिन पर प्रान्त परस्पर मिल कर कार्य करना चाहें। शेष सब विषय प्रान्तीय सरकारों के पास होंगे। और उन्हें सत्ता सम्पन्नता के अवशिष्ट अधिकार होंगे।

यह मान लिया जाता है कि भारतीय रियासतें उनसे समझौते द्वारा तय होने वाली शर्तों पर इस विधान में अपना स्थान ले लेंगी।

मैं यह संकेत करदूं कि हम इन सिद्धान्तों का और स्पष्टी-

करण न तो आवश्यक समझते हैं और न वांछनीय क्योंकि और सब मामलों पर बात चीत के दौरान में विचार किया जा सकता है।

अगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस आधार पर समझौते की बात चीत आरम्भ करने को तैयार हों तो आप कृपा करके उनकी तरफ से बातचीत करने के लिए नियुक्त ४ व्यक्तियों के नाम भेज दें। ये नाम मिलते ही मैं बातचीत का स्थान आप को बता दूंगा जो बहुत सम्भवतः शिमला होगा जहां कि जल वायु अधिक मृदु है।

कांग्रेस अध्यक्ष का लार्ड पैथिक लारेन्स को पत्र २८ अप्रैल १९४६

२७ अप्रैल के आपके पत्र के लिए धन्यवाद। मैंने आप द्वारा भेजे गये सुझावों के सम्बन्ध में अपने सहयोगियों से परामर्श किया है, और वे चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि वे मुस्लिम लीग या किसी अन्य संस्था के प्रतिनिधियों के साथ भारत के भविष्य सम्बन्धी मामलों पर पूर्ण विचार करने के लिये सदा तैयार रहे हैं। मगर मैं यह संकेत कर दूं कि "जिन आधारभूत सिद्धान्तों" का आपने जिक्र किया है, गलत फहमी को दूर रखने के लिये उनके विशदी करण व स्पष्टी करण की आवश्यकता है। जैसा कि आपको मालूम है हमने स्वाधीन

इकाइयों के संघीय केन्द्र की कल्पना की है। इस प्रकार के संघीय केन्द्र के आधीन कुछ आवश्यक मामले होने चाहिये जिनमें रक्षा और उससे सम्बद्ध विषय सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्राणवान होना चाहिये और इसकी शासन परिषद व व्यवस्थापक सभा हो एवं इन विषयों से सम्बद्ध धन और अपने अधिकार से इन प्रयोजनों के लिये राजस्व संग्रह का इसे अधिकार होना चाहिये। बिना इन कार्यों और अधिकारों के यह कमजोर और बिखरा हुआ होगा और रक्षा तथा सामान्य प्रगति को हानि पहुंचायेगा। इस प्रकार विदेशी मामलों की रक्षा और यातायात के अलावा केन्द्रीय विषयों में मुद्रा, चुंगी, तट कर तथा अन्य ऐसे विषय होने चाहिये जो जांच पड़ताल करने पर उनसे निकट सम्बद्ध दीखें। आपके प्रांतों के दो गुटों—एक बहुत अधिक हिन्दू बहुल प्रांतों तथा दूसरा बहुत अधिक मुस्लिम बहुल प्रांतों का संकेत स्पष्ट नहीं है। बहुत अधिक मुस्लिम जनता वाले प्रान्त सिर्फ उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत, सिन्ध और बिलोचिस्तान हैं। बंगाल और पंजाब में थोड़ाही मुस्लिम बहुमत है। हम केन्द्रीय संघ के आधीन प्रांतों की गुटबन्दी को बुरा समझते हैं, विशेषकर धार्मिक या साम्प्रदायिक आधार पर। यह भी मालूम होता है कि आपने किसी गुट में शामिल होने या न होने के विषय में प्रान्तों को स्वतन्त्रता नहीं दी है। यह

किसी भी तरह निश्चित नहीं है कि वर्तमान रूप में बना हुआ प्रांत किसी विशिष्ट गुट में शामिल होना स्वीकार करेगा। किसी भी हालत में यह बिलकुल गलत होगा कि किसी भी प्रांत को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये बाधित किया जाय। हम प्रांतों के पृथक विषयों के शासन में पूर्ण अधिकार तथा अवशिष्ट शक्ति से सहमत हैं। मगर साथ ही जैसा कि हमने बताया है कि प्रांतों को केन्द्रीय संघ के हाथ में अपने और भी विषय देने की आजादी होनी चाहिये। केन्द्रीय संघ के अन्दर कोई और उपसंघ बनाने से संघीय केन्द्र कमजोर पड़ेगा और दूसरी तरह भी हानि होगी इसलिये हम किसी ऐसे संगठन के पक्ष में नहीं हैं।

देशी राज्यों के बारे में हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उनको ऊपर बतलाये सर्वनिष्ठ विषयों के सम्बन्ध में संघीय केन्द्र को अपना अधिकार देना आवश्यक मानते हैं। उनके संघ में आने की पद्धति पर पूरे तौर से बाद में विचार हो सकता है।

आपने कुछ आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा की है। मगर वस्तुतः हमारे सामने जो मामला उपस्थित है, अर्थात भारतीय स्वाधीनता और उसके फलस्वरूप भारत से ब्रिटिश फौजों का हटाया जाना, उसकी कोई चर्चा नहीं है। हम इसी आधार पर भारत के भविष्य के विषय में अथवा किसी अन्तर्वर्ती व्यवस्था के विषय में चर्चा कर सकते हैं।

यद्यपि हम भारत के विषय में किसी दल से बातचीत चलाने को तैयार हैं तथापि हम अपना यह विश्वास प्रकट कर देना चाहते हैं कि तब तक किसी बातचीत में वास्तविकता की पुट नहीं आसकती जब तक कि एक बाह्य शासक शक्ति भारत में विद्यमान हैं।

मैंने कांग्रेस कार्यसमिति के अपने तीन सहयोगियों—पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, और खान अब्दुलगफ्फार खां से—उन बातचीतों में अपने साथ आने को कहा है जो आपके सुझाव के परिणाम स्वरूप हों।

मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का लार्ड पैथिक लारेन्स को पत्र २९ अप्रैल १९४६

आपके २७ अप्रैल के पत्र के लिए जिसे मैंने अपनी कार्यकारिणी के समक्ष उपस्थित किया था धन्यवाद। मेरे सहयोगी तथा मैं मंत्री मिशन और वायसराय द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य कराने के और प्रयत्नों को जिसके लिये दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों का बैठक का प्रस्ताव है प्रशंसनीय दृष्टि से देखते हैं। मगर वो चाहते हैं कि मैं आपका ध्यान उस स्थिति की ओर खींच दूं जो उसने १९४० मे लाहोर प्रस्ताव पास करने के बाद से ग्रहण की हुई है। और जिसका

उसके बाद निरन्तर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशनों द्वारा और अभी ९ अप्रैल १९४६ को मुस्लिम लीग के धारासभाई कन्वेशन द्वारा समर्थन किया गया है तथा जिसकी एक प्रति साथ भेजी जा रही है। कार्यसमिति संकेत करना चाहती है कि आपके छोटे से पत्र में बहुत से महत्व पूर्ण मामलों पर सिद्धांत तथा ब्यौरे की दृष्टि से विशदी करण तथा स्पष्टी करण की आवश्यकता है। जो हमारी समिति में आप द्वारा प्रस्तावित सभा में किया जा सकता है। इसलिये किसी चीज के पक्ष विपक्ष में बिना राय दिये भारतीय वैधानिक समस्या का सर्वानुमोदित समाधान प्राप्त करने मे मदद करने को व्याकुल कार्यसमिति ने मुझे मुस्लिम लीग की ओर से बातचीत में भाग लेने के लिये तीन प्रतिनिधि नामजद करने का अधिकार दिया है। निम्न चार नाम हैं।

(१) श्री मुहम्मद अली जिन्ना (२) नवाब मुहम्मद इस्माइल खां (३) नवाब जादा लियाकत अली खां (४) सरदार अब्दुर्रब निश्तर।

श्री जिन्ना द्वारा लार्ड पैथिक लारेन्स को २९ अप्रैल १९४६ को लिखे पत्र के साथ. विषय समिति द्वारा ९ अप्रैल १९४६ को अखिल भारतीय मस्लिम लीग धारा सभाई कन्वेशन के सामने पेश किये गये प्रस्ताव की नकल थी।

लार्ड पैथिक लारेन्स का कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र

ता० २६ अप्रैल १९४६

२८ अप्रैल के आपके पत्र के लिये धन्यवाद। मन्त्री मिशन को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों तथा हमारे साथ संयुक्त बातचीत में भाग लेने को सहमत है।

आपने कांग्रेस कार्य समिति की ओर से जो विचार व्यक्त किये हैं हमने उन पर ध्यान दिया है। ये उन मामलों के सम्बंध में प्रतीत होते हैं जिन पर सम्मेलन में विचार हो सकता है, क्योंकि हमने यह कभी नहीं सोचा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा हमारे निमंत्रण को स्वीकार किये जाने का यह अर्थ होगा कि वे मेरे पत्र में पेश की गई बातों से अनिवार्यतः पूर्ण रूप से सहमत हैं। ये बातें हमने समझौते के आधार रूप में प्रस्तुत की है, और हमने कांग्रेस कार्यसमिति से जो कुछ करने को कहा वह यह कि आप हमारे तथा मुस्लिम लीगी प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त चर्चा करने के लिये वह अपने प्रतिनिधि भेजने स्वीकार करें।

लार्ड पैंथिक लारेन्स का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को पत्र २६ अप्रैल १६४६

आपके २६ अप्रैल के पत्र के लिये धन्यवाद। मंत्रि मिशन को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मुस्लिम लीग हमारे तथा कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बातचीत करने के लिये तैयार है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि मेरे पास कांग्रेस के अध्यक्ष का पत्र आया है जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावित चर्चाओं में भाग लेने को तैयार हैं और उन्होंने मौलाना आजाद, पं० नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खां को अपना प्रतिनिधि नामजद किया है।

हमने मुस्लिम लीग के उस प्रस्ताव पर ध्यान दिया है जिनकी ओर आपने हमारा ध्यान खींचा था हमने यह कभी नहीं सोचा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने का यह अर्थ होगा कि वे पत्र में पेश की गई बातों से सहमत हैं। ये बातें हमने समझौते के आधार रूप में प्रस्तुत की है और हमने मुस्लिम लीग की कार्यसमिति से जो कुछ करने को कहा था वह यह कि इस पर हमारे तथा कांग्रेसी प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बातचीत करने के लिये वह अपने प्रतिनिधि भेजना स्वीकृत करे।

एजेन्डा

१—प्रान्तों के गुट

(क) रचना

(ख) गुट के विषयों को निश्चित करने का तरीका

(ग) गुट संगठन का प्रकार

२—संघ

(क) संघीय विषय

(ख) संघीय विधान का प्रकार

(ग) अथ

३—विधान निर्मात्री संस्था

(क) रचना

(ख) कार्य कलाप

(अ) सब की दृष्टि से

(ब) गुटों की दृष्टि से

(स) प्रान्तों की दृष्टि से

कांग्रेस के अध्यक्ष का लार्ड पैथिक लारेन्स को पत्र

६ मई १९४६

मैंने और मेरे सहयोगियों ने कल के सम्मेलन की कार्यवाही

का ध्यान पूर्वक मनन किया और यह भी विचार करने की कोशिश की कि हमारी बातचीत हमें किस ध्येय पर पहुंचाती है। मैं अपनी चर्चा की अस्पष्टता को स्वीकार करता हूं। हम समझौते पर पहुंचने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करना पसन्द करेंगे किन्तु हम इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मन्त्री मिशन और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि समझौते के दौरान में जिस रवैये को अख्तियार कर रहे हैं। उससे समझौते की सफलता की आशा बंधती है। हमने अपने १८ अप्रैल के पत्र में अपने रुख का स्पष्टीकरण कर दिया है। हमें जान पड़ता है कि आम तौर से हमारे रुख की अवहेलना की गयी है। हम समझते हैं कि प्रारम्भ में हमें कुछ बातों को मान लेना चाहिये नहीं तो समझौते की चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन मौलिक सिद्धांतों के सर्वथा प्रतिकूल बातों की कल्पना कर लेने से हमारे आगे का मार्ग कदापि साफ नहीं हो सकता, प्रत्युत गलत फहमी बढ़ने की ही सम्भावना पैदा होती है। अपने २८ अप्रैल के पत्र में मैंने लिखा था कि हमारे सामने इस समय एक ही मुख्य विषय है और वह है भारत भूमि से ब्रिटिश फौजों को हटाना क्योंकि जब तक विदेशी फौजें भारत में छायी रहेंगी तब तक भारत को वास्तविक आजादी नहीं मिल सकती। हम समस्त देश की आजादी अभी तत्काल चाहते हैं

न कि निकट अथवा दूरवर्ती भविष्य में। अन्य प्रश्न इस प्रमुख विषय (भारतीय स्वाधीनता) के सहायक हैं और उनके सम्बन्ध में विधान निर्मात्री असेम्बली द्वारा विचार तथा निर्णय किया जा सकता है।

कल के सम्मेलन में मैंने इस विषय का फिर उल्लेख किया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि आपने और आपके सहकारियों तथा सम्मेलन के अन्य सदस्यों ने भारतीय आजादी की हमारी चर्चाओं का आधार स्वीकार कर लिया था। यह आपने कहा था कि इंगलैंड तथा स्वतंत्र भारत के बीच क्या सम्बन्ध रहेंगे इनका अन्तिम निर्णय विधान निर्मात्री असेम्बली द्वारा किया जायगा। जब कि आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो अब हमारी स्थिति अत्यन्त बन जाती है और इसका अर्थ यह है कि भारतीय स्वतन्त्रता स्वीकृत हो जाती है।

इसके बाद कुछ बातें अपने आप पैदा हो जाती हैं जिनके महत्व पर मेरे विचार से कल के सम्मेलन में ध्यान नहीं दिया गया। विधान निर्मात्री परिषद का काम स्वतन्त्रता के प्रश्न के सम्बन्ध में निर्णय करना नहीं होगा। स्वतन्त्रता का प्रश्न तो अभी तय होना चाहिये और हम समझते हैं कि तय हो गया है। असेम्बली तो स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र की इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी और उसे अमल में लायेगी। इसके हाथ पैर पहले

की कार्यवाहियों से नहीं बंधने चाहियें। इससे पहले एक अस्थायी सरकार नियुक्त करनी पड़ेगी। जिसे यथा सम्भव स्वतन्त्र भारत की सरकार की हैसियत से काम करना चाहिये। और सक्रान्ति काल में पत्येक प्रकार की व्यवस्था का भार लेने के लिये तैयार रहना चाहिये। इस विचार विमर्श के अवसर पर प्रान्तीय गुटों का बार बार उल्लेख किया गया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक प्रान्तीय गुट में अपनी प्रथक कार्य कारिणी तथा व्यवस्थापिका सभा होगी। इस प्रकार के गुटों पर हमने कोई विचार विमर्श नहीं किया गया किन्तु हमें ऐसा संकेत दिया गया है कि मानों हमने इस मुद्दे पर बातचीत की गई हो। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस व्यवस्था का पूर्णतया विरोधी हूं कि प्रान्तीय गुट तथा संघीय इकाइयों के पास उनकी पृथक कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका मशीनरी हो। इसका अर्थ है उपसंघ भी बनाने होंगे। जिसे स्वीकार न करने की बात पहले ही हमने आपको बता दी है। इससे कार्य-कारिणी तथा व्यवस्थापिका सभाओं की ३ श्रेणियां बन जायगी और यह व्यवस्था, बोझिल उलझलूल, तथा अव्यवस्थित बन जायगी जिसके कारण निरन्तर संघर्ष पैदा होते रहेंगे। हमारे ख्याल से इस प्रकार की व्यवस्था किसी भी देश में नहीं है।

हम इस बात को जोरदार शब्दों में कहते हैं

कि सम्मेलन में ऐसा कोई भी सुझाव नहीं रखा जा सकता जिसमें भारत के विभाजन की तजवीज रक्खी गई हो। यदि इस विषय का का प्रश्न कभी रखा जाता है तो यह विधान निर्मात्री असेम्बली के जरिये से आना चाहिये ताकि, वह वर्तमान शासन सत्ता के प्रभाव से सर्वथा स्वतन्त्र हो।

एक प्रश्न हम और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हमें कार्य कारिणी तथा व्यवस्थापिका सभा के सम्बन्ध में प्रान्तीय गुटों के बीच समानता का प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं। हम इसका अनुभव करते हैं कि प्रत्येक गुट तथा सम्प्रदाय के भय को दूर करने के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय करना चाहिये। किन्तु यह चीज उन वास्तविक ढंगों से नहीं करनी चाहिये जो प्रजातन्त्र के आधार भूत सिद्धन्तों पर ही कुठाराघात करते हों, और जिसकी नींव पर हम अपना विधान खड़ा करना चाहते हैं।

कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का समझौता कराने के सुझाव जो ब्रिटिश मन्त्री मिशन द्वारा प्रस्तुत किये गये

(१ एक अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार होगी जिसे विदेशी मामलों, रक्षा, यातायात के मौलिक अधिकारों के बारे में पूरा पूरा अधिकार होगा। और इन विषयों के लिये वह अपनी आवश्यक अर्थ व्यवस्था भी कर सकेगी।

(२) शेष सब अधिकार प्रान्तीय सरकार के हाथ में होंगे।

(३) प्रान्तों के गुट बनाये जा सकते हैं और वे गुट अपने उन

प्रान्तीय विषयों का अपने आप निर्णय कर सकते हैं जिन्हें वे सर्वनिष्ठ समझते हों।

(४) गुट अपनी अपनी कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका सभाए बना सकते हैं।

(५) केन्द्रीय सरकार की व्यवस्थापिका सभा में मुस्लिम बहुल तथा हिन्दू बहुल प्रान्तों से समान अनुपात में सदस्य होंगे चाहे वे किसी गुट में शामिल हुए हों या नहीं। इसके साथ साथ रियासतों के प्रतिनिधि भी रखे जायेंगे।

(६) व्यवस्थापिका सभा का गठन हो केन्द्रीय सरकार भी बना ली जायगी।

(७) केन्द्रीय सरकार तथा गुट सरकार में इसका विधान रखा जायगा। कि कोई भी प्रान्त अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत के निर्देश पर प्रारम्भिक १० वर्षों तथा तदनन्तर प्रत्येक दस वर्ष बाद विधान की शर्तों पर पुनर्विचार कर सके। इस पुनर्विचार के लिये जो संस्था बनाई जायगी वह विधान निर्मात्री असेम्बली जैसी ही हुआ करेगी और वोट देने का तरीका भी वही होगा तथा उसे अपने निर्णय द्वारा विधान में परिवर्तन करने की पूरी शक्ति होगी।

ऊपर लिखे हुए आधारों पर विधान बनाने के लिये अ

विधान निर्मात्री मशीनरी कायम होगी । वह निम्न प्रकार से बनेगी ।

(क) प्रान्तीय असेम्बली के विभिन्न दलों की संख्या के अनुपात से प्रतिनिधि चुन कर आएंगे । ये प्रतिनिधि अपने दल की संख्या का १/१० भाग होंगे ।

(ख) रियासतों से प्रतिनिधि अपनी जन संख्या के अनुसार बुलाए जाएंगे । रियासतों की जन संख्या तथा ब्रिटिश भारत की जन संख्या के अनुपात के आधार पर इन प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की जाएगी ;

(ग) इस प्रकार निर्मित विधान निर्मात्री असेम्बली यथा संभव शीघ्र ही नई दिल्ली में अपनी बैठक करेगी ।

(घ) अपनी प्रारम्भिक बैठक के बाद जिसमें उसका आम कार्य-वाही का सिलसिला तय कर दिया जायगा यह तीन विभागों में बंट जायगी । पहला विभाग हिन्दू बहुल प्रान्तों का प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरा विभाग मुस्लिम बहुल प्रांतों का प्रतिनिधित्व करेगा तथा तीसरा विभाग रियासतों का प्रतिनिधित्व करेगा ।

(ङ) पहला तथा दूसरा विभाग अपने अपने गुटों के प्रान्तीय विधान बनाने के लिए पृथक बैठक करेंगे और यदि वे चाहें तो गुट सम्बन्धी विधान बना लेंगे ।

(च) जब ये विधान बन जायेंगे तो किसी भी प्रान्त को इस बात का अधिकार होगा कि वह अपने असली गुट से अलग हटने दूसरे गुट में मिलने अथवा किसी भी गुट में न मिल कर बिल्कुल अकेला रहने का फैसला कर सके।

(छ) इसके बाद तीनों विभाग मिल कर बैठक करेंगे और पैराग्राफ ५-७ में स्वीकृत आधारों पर केन्द्रीय सरकार के लिए विधान बनायेंगे।

(ज) केन्द्रीय सरकार में कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका सम्बन्ध साम्प्रदायिक मुद्दे से असेम्बली द्वारा तब तक मंजूर न किया जा सकेगा जब तक दोनों बड़ी साम्प्रदायिक जातियां बहुमत द्वारा उसे स्वीकार नहीं करती।

(झ) वायसराय उपर्युक्त विधान निर्मात्री मशीनरी को अविलम्ब बुलायेंगे जो पैराग्राफ ८ में लिखित निर्देशों के आधार पर चलेगी

ब्रिटिश कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर ब्रिटिश मन्त्रियों तथा कांग्रेस लीग में काफी पत्र व्यवहार हुआ पर कोई निश्चित परिणाम नहीं निकल सका। इसके विपरीत १२ मई १९४६ को मुस्लिम लीग ने अपनी न्यूनतम मांगों के आधार पर मतैक्य करने का एक फार्मूला रक्खा ये सिद्धान्त प्रस्ताव के रूप में रक्खे गये।

१. छः मुस्लिम प्रान्त पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त,

बलोचिस्तान, सिन्ध, बंगाल और आसाम) एक गुट के रूप में इकट्ठे मिला दिये जांय। और विदेशी मामलों तथा रक्षा के लिये आवश्यक यातायातके अलावा अन्यसब विषय उनकेआधीन होंगे। वे उपर्युक्त तीन विषयमें प्रान्तों के दो गुटों-मुस्लिम प्रान्तों (जिन्हें उनके आगे पाकिस्तान गुट नाम दिया गया है) और हिन्दू प्रान्तों की सम्मिलित विधान निर्मात्री परिषदों के आधीन होंगे।

२. उपर्युक्त ६ प्रान्तों की एक अलग विधान निर्मात्री संस्था होगी जो गुट तथा गुट के प्रान्तों के लिये विधान बनायेगी और वह ("पाकिस्तान संघ के) प्रान्तीय व केन्द्रीय विषयों की सूची का निश्चय करेगी और सत्ता सम्पन्नता के अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को रहेंगे।

३. विधान निर्मात्री संस्था के लिये प्रतिनिधि के चुनाव की पद्धति ऐसी होगी जिससे पाकिस्तान गुट के प्रत्येक प्रान्त की विभिन्न जातियों का उचित अनुपात हो जाय।

४. पाकिस्तान संघीय सरकार व प्रान्तों के विधान, विधान निर्मात्री संस्था द्वारा बना दिये जाने के बाद गुट के प्रत्येक प्रांत को अपने गुट से अलग होने की आजादी होगी। बशर्ते कि उस प्रान्त की जनता की गुट से अलग होने या न होने की इच्छा का निश्चय मत संग्रह द्वारा कर लिया गया हो।

५. संयुक्त विधान निर्मात्री संस्था में इस चीज या विचार हो सके संघ की धारा सभा हो या न हो। संघ के लिये धन प्राप्ति का तरीका भी दोनों विधान निर्मात्री संस्थाओं की संयुक्त बैठक के निश्चय के लिये छोड़ दिया जाना चाहिये। मगर किसी सूरत में भी यह तरीका कर लगाने का न हो।

६ अगर संघीय शासन परिषद व धारा सभा बने तो उसमें दोनों गुटों का समान प्रतिनिधित्व हो।

७. संघ विधान का कोई ऐसा प्रमुख नुक्ता जो साम्प्रदायिक मामले पर असर डालता है, संयुक्त विधान निर्मात्री संस्था में तब तक पास हुआ नहीं समझा जायगा जब तक हिन्दू प्रांतों की विधान निर्मात्री संस्था के सदस्यों तथा पाकिस्तान गुट की विधान निर्मात्री संस्था के सदस्यों में से उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत पृथक पृथक उसके पक्ष में न हो।

८. केन्द्रीय संघ (यूनियन) किसी विवादास्पद मामले में कोई निश्चय कानून बनाने, कानून का पालन कराने, या शासन के मामले में बिना तीन चौथाई बहुमत के न कर सकेगा।

९. गुटों तथा प्रांतों के विधानों में विभिन्न जातियों के धर्म, संस्कृति तथा दूसरे मामलों पर प्रभाव डालने वाले आधारभूत अधिकारों तथा संरक्षाओं को स्थान दिया जायगा।

१० केन्द्रीय संघ के विधान में इस प्रकार की धारा रहेगी

जिन्ना के अनुसार कोई प्रान्त अपनी लेजिस्लेटिव असेम्बली के बहुमत से विधान की शर्तों पर पुर्न विचार की मांग कर सकता है। और वह पहले दस साल बाद किसी भी समय केन्द्रीय संघ से पृथक होने को स्वतत्र होगा।

शान्ति पूर्ण व सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए हमारे प्रस्ताव के ये सिद्धांत हैं और अपने पूर्ण रूप में ये प्रस्ताव तथा इनमें वर्णित अन्य मामले परम्पराश्रित हैं।

लीग के इस फार्मूले पर कोई फैसला नहीं हो सका। इसके तुरन्त बाद ही कांग्रेस ने इस फार्मूले पर एक टिप्पणी पेश की वह टिप्पणी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। टिप्पणी निम्न प्रकार है।

ता० १२ मई, १९४६

इन मामलों के सम्बन्ध में मुस्लिम लीग के विचार के तरीके से इतना भिन्न है कि उसके प्रत्येक मुद्दे पर शेष मामले की ओर सकेत किये बिना विचार करना जरा कठिन है। कांग्रेस ने मामले की जो तस्वीर खींची है वह एक पृथक नोट में दे दी गयी है। इस नोट पर तथा मुस्लिम लीग के प्रस्तावों पर विचार करने से यह कठिनाई एवं सम्भावित समझौता दोनों स्पष्ट हो जायेगें।

मस्लिम लीग के प्रस्तावों पर यहां संक्षेप में विचार किया है—

(१) हमारी राय है कि ठीक तरीका यह होगा कि प्रारम्भ में समस्त भारत के लिये एक ही विधान निर्मात्री परिषद बैठे, और बाद में यदि प्रांत चाहें तो वे अपने गुट बना सकें। यह मामला प्रांतों पर ही छोड़ देना चाहिये और यदि वे एक गुट के रूप में ही कार्य करें तो उन्हें इसके तथा इस उद्देश्य के लिये अपने विधान बनाने की आजादी होनी चाहिए। किसी भी दशा में आसाम को कथित गुट में नहीं रक्खा जा सकता और सीमाप्रांत जैसा कि चुनावों से जाहिर है इस प्रस्ताव के हक में नहीं है।

(२) केन्द्रीय विषयों के अलावा अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को देना हमने स्वीकार कर लिया है। वे उनका यथेच्छ उपयोग कर सकते हैं और चाहें तो जैसा कि ऊपर कहा गया है, गुट भी बना सकते हैं। ऐसे गुटों का अन्तिम रूप क्या होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। यह सम्बद्ध प्रांतों के प्रतिनिधियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

(३) हमने यह सुझाव रखा है कि विधान निर्मात्री परिषद के चुनाव का सर्वोत्तम तरीका एकाकी हस्तान्तरिक मत देने का है। इसस विभिन्न सम्प्रदायों की मौजूदा प्रान्तीय असे-

म्बलियों में जिस अनुपात से प्रतिनिधित्व है उसी अनुपात उन्हें विधान निर्मात्री में प्रतिनिधित्व मिल जायगा। यदि आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाय तो हमें भी कोई खास एतराज नहीं, पर उससे उन सूबों में कठिनाई पैदा हो जायगी जिनमें कि कुछ साम्प्रदायों को विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो भी सिद्धांत स्वीकृत होगा वह अनिवार्यतः सभी प्रांतों पर लागू होगा।

(४) किसी प्रांत के अपने गुट से अलग होने की जरूरत नहीं क्योंकि उस गुट में शामिल होने के लिये उस प्रांत की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी।

(५) हम यह आवश्यक समझते हैं कि संघ केन्द्र का व्यवस्थापिका सभा भी होनी चाहिये। हम यह भी आवश्यक समझते हैं कि संघ को अपना राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये।

(६व७) संघ सरकार व संघ व्यवस्थापिका में प्रांतीय गुटों के समान प्रतिनिधित्व के हम सर्वथा विरोधी हैं। हम समझते हैं कि किसी भी बड़े साम्प्रदायिक मामले का प्रस्ताव संघ व्यवस्थापिका में बिना सम्बद्ध सम्प्रदाय के अनुकूल वोट के पास हुआ न समझा जाना सभी अल्पसंख्यकों के लिये बहुत बड़ा वैधानिक संरक्षण है। कुछ छोटे अल्पसंख्यक

सम्प्रदायों के मामले में कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है पर उसकी पंचायत से निर्णय कराकर दूर किया जा सकता है। इस सिद्धांत को क्रियान्वित करने की विधि पर विचार करने के लिये हम तैयार हैं ताकि यह अधिक व्यवहार्य बन सके।

(८) यह प्रस्ताव अपने आप में ऐसा सर्वग्रासी है कि कोई सरकार या व्यवस्थापिका चल ही नहीं सकती। बड़े साम्प्रदायिक प्रश्नों के लिए संरक्षणों की व्यवस्था कर देने पर, अन्य विषयों के लिए चाहे वे विवादाग्रस्त हों या नहीं किसी संरक्षण की जरूरत नहीं। इसके मानी तो यह होंगे कि सब प्रकार के व्यस्त स्वार्थ सुरक्षित हो जाय और प्रगति बल्कि किसी भी दिशा में गति न हो सके। इसलिये हम इसके सर्वथा विरोधी हैं।

(९) हम धर्म संस्कृति और इसी तरह की अन्य चीजों के आधारभूत अधिकार व संरक्षणों का विधान में समावेश करने को तैयार है। हमारी राय है कि इसके लिये उपयुक्त स्थान अ० भा० संघ विधान है। यह आधारभूत अधिकार समस्त भारत में एक समान होने चाहिये।

(१०) संघ के विधान में संशोधन की व्यवस्था तो निश्चित ही रहेगी। उसमें यह व्यवस्था भी रक्खी जा सकती है कि

इस वर्ष के बाद इस पर पूर्णतः पुनर्विचार हो। तब यह मामला पूर्णतः पुनर्विचार के लिये खुला रहेगा। यद्यपि प्रांतों के इस संघ से अलग होने की बात तो अर्थतः सिद्ध ही है तो भी उसका यहां कोई उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि हम इस विचार को प्रोत्साहन देना नहीं चाहते।

समझौते का द्वार बन्द ?

कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत किये गये इस समझौते के फार्मूले में सभी बातें सम्मिलित की गयीं पर इसके बावजूद भी लीग और कांग्रेस का समझौते की कोई सम्भावना दिखाई नहीं दी। लीग द्वारा पेश किये गये गये फार्मूले और इस फार्मूले में जमीन आसमान का अन्तर था। इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने जो फार्मूला दोनों पार्टियों के लिये पेश किया था उसका अधिकांश भाग कांग्रेस को स्वीकार था पर लीग ने समझौते पर न आने का ही रुख अख्त्यार किया था अतः इस दिशा में जितने भी यत्न किये गये वे बेकार साबित हुए।

मुस्लिम लीग के पाकिस्तान का जनाजा
मन्त्री शिष्टमंडल तथा वायसराय का
एतिहासिक वक्तव्य

मैं आप से जो कुछ कहने जा रहा हूं उसका सम्बन्ध एक महान् राष्ट्र-भारत राष्ट्र-के भविष्य से है। सभी भारतीयों के दिलों में स्वतन्त्रता की उत्कट अभिलाषा है।

इस अभिलाषा को भारत के सब राजनीतिक दलों के नेताओं ने व्यक्त किया है। सम्राट की सरकार तथा सामूहिक रूप से ब्रिटिश राष्ट्र स्वतंत्रता देने को सम्पूर्ण रूप से तैयार है--चाहे यह स्वतंत्रता ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के भीतर हो अथवा बाहर। वे आशा करते है कि यह स्वतन्त्रता इन दोनों राष्ट्रों के बीच, सम्पूर्ण समता के आधार पर, स्थायी तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का आधार बनेगी।

लगभग दो महीने हुए, भारत मन्त्री की हैसियत से मैं और मन्त्रिमण्डल के मेरे दो सहयोगी--सर स्टैफर्ड क्रिप्स और श्री

अलेग्जेण्डर-सम्राट की सरकार द्वारा भारत भेजे गये थे ताकि हम भारतीयों द्वारा ही अपना विधान बनाने के हेतु प्रारम्भिक कार्य में वायसराय की सहायता कर सकें।

हमें आते ही एक बहुत बड़ी अड़चन का सामना करना पड़ा। भारत के दो प्रमुख दल—मुस्लिम लीग जिसने हाल के चुनावों में बहु संख्यक मुसलमानों की सीटों को जीता है, तथा कांग्रेस जिसने शेष सीटों में बहुसंख्यक सीटें जीती हैं—इन दोनों दलों में प्रारम्भिक मशीनरी स्थापित करने के प्रश्न तीव्र मतभेद था। मुस्लिम लीग भारत को दो पृथक सत्ता सम्पन्न राज्यों में विभाजित करना चाहती थी और तब तक विधान निर्माण के कार्य में भाग लेने को तैयार न थी जब तक कि उसका यह दावा पहले से ही न मान लिया जाय। कांग्रेस का आग्रह था कि भारत एक अखण्ड देश रहे।

भारत में अपने प्रवास के समय हमने भरसक प्रयत्न किया है कि इन दोनों दलों में कोई ऐसा समझौता हो जाय जिससे हम विधान निर्माण का काम हाथ में ले सकें। हाल में हम दोनों दलों को अपने साथ शिमला में एक सम्मेलन में मिलाने में सफल हो गये थे, किंतु पूरा समझौता न किया जा सका यद्यपि दोनों दल भारी रियायतें करने को तैयार थे। इसलिए गुत्थी को हल सुलझाने के लिये हम स्वयं बाध्य

हो गये हैं—ऐसा हल जिससे दोनों दलों की प्रमुख मांगें पूरी हो जायें और तत्काल ही विधान निर्माण सम्बन्धी कार्य चालू किया जा सके।

पाकिस्तान अस्वीकार

यद्यपि हम मुस्लिम लीग के इस भय की वास्तविकता को समझते हैं कि विशुद्ध रूप से संयुक्त भारत में उनका समुदाय अपनी संस्कृति और अपने रहन-सहन की प्रणालो के साथ बहु-संख्यक हिन्दू शासन में विलीन हो सकता है, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि साम्प्रदायिक समस्या का हल एक पृथक सत्ता सम्पन्न मुस्लिम राष्ट्रों की स्थापना है। "पाकिस्तान" में जिस नाम से मुस्लिम लीग अपने राष्ट्र का पुकारती है केवल मुसलमान ही न होंगे, उसमें दूसरे समुदायों की भी काफी बड़ी जनसंख्या होगी और इन सबका आसत ४० प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच जायगी और कुछ बड़े बड़े क्षेत्रों में बहुसंख्यों का रूप भी धारण कर लेगा, जैसा कि कलकत्ते में, जहां मुसलमानों की संख्या एक तिहाई से भी कम है। इसके अतिरिक्त हमारी दृष्टि में, पाकिस्तान से शेष भारत से अलग हो जाने से सेना के दो भागों में बंटने और रक्षा-व्यवस्था का व्यापक प्रबन्ध जो आधुनिक युद्ध में आवश्यक है - अवरुद्ध हो जाने पर समस्त देश

की रक्षा व्यवस्था भीषण खतरे में पड़ जायगी। इस लिए हम इस प्रस्ताव की स्वीकृति का सुझाव नहीं रखते।

लीग स्तरों का विधान

हमारी अपनी सिफारिशों में तीन स्तरों के विधान की कल्पना की गई है जिसमें सबसे ऊपर संबद्ध भारत होगा, जिसमें एक शासन परिषद् और व्यवस्थापक मण्डल होगा। जिसे परराष्ट्र विषयक मामलों, रक्षा व्यवस्था एवं यातायात और इन सर्विसों के लिए आवश्यक धनकी व्यवस्था करने का अधिकार होगा। निम्न स्तर में प्रान्त होंगे जिन्हें इन विषयों के अतिरिक्त जिनका मैंने अभी नाम लिया है, पूर्ण स्वायत्त शासन प्राप्त होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त हम यह भी सोचते हैं कि प्रान्त गुटों के रूप में इस लिए एक साथ सम्मिलित होना चाहिए कि सामूहिक रूप से वे एक प्रान्त का अपेक्षा और बड़े क्षेत्रों की सर्विसों का संचालन कर सकें और ये गुट, यदि वे चाहें, व्यवस्थापक मण्डल और शासन परिषदों का निर्माण कर सकते हैं। जो उस स्थिति में प्रान्तों और संघबद्ध भारत के बीच की व्यवस्था होगी।

इस आधार पर, जिससे मुसलमानों के लिए भारत के बंटवारे के अन्तर्भूत खतरों को उठाये बिना पाकिस्तान की सुविधाएं प्राप्त करना संभव हो जाता है मैं सब दलों के भारतीयों को

लेने के लिए आमन्त्रित करता हूं। तदनुसार वायसराय महोदय ब्रिटिश भारत के उन प्रतिनिधियों को नई दिल्ली बुलाएंगे जो ऐसी प्रणाली में प्रान्तीय असेम्बलियों के सदस्यों द्वारा चुने जायंगे कि जहां तक सम्भव हो प्रति दस लाख की जन संख्या के पीछे एक प्रतिनिधि हो, और मुख्य समुदायों के प्रतिनिधियों का एक अनुपात भी इसी आधार पर हो।

आरम्भ की संयुक्त बैठक के बाद, प्रान्तों के वे प्रतिनिधि अपने को तीन भागों में जिनका निर्माण निश्चित किया जा चुका है, विभक्त करेंगे और अन्ततोगत्वा यदि प्रान्त इसके लिए सहमत हुए, तो ये तीनों भाग तीन गुट (ग्रुप्स) हो जायेंगे। ये भाग प्रान्तीय तथा गुट सम्बन्धी विषयों का निर्णय करेंगे। बाद में, संघ (यूनियन) के विधान का निश्चय करने के लिए ये फिर संयुक्त हो जांयगे। नये विधान के अनुसार पहली बार चुनाव होने के बाद, प्रान्त अपने उस गुट में से पृथक हो जाने के लिए स्वतन्त्र होंगे, जिसमें अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गये हैं। हम खूब समझते हैं कि इस व्यवस्था के द्वारा प्रमुख अल्पसंख्यक दलों के सिवा अन्य अल्पमतों को समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता। अतएव हम एक विशेष समिति की भी व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक पूरा पूरा भाग ले सकेंगे। अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों को नियम-बद्ध करके, विधान

के अन्दर समुचित रूप में उन्हें शामिल किए जाने की सिफारिश करना इस समिति का कार्य होगा ।

राज्यों का प्रश्न

अभीतक मैंने भारतीय राज्यों के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है, जो भारत के एक तिहाई क्षेत्रफल में फैले हुए हैं और देश की आबादी का एक चौथाई भाग जिनमें निवास करता है। इस समय इनमें से प्रत्येक राज्य की शासन व्यवस्था पृथक है और ब्रिटिश सम्राट के साथ उनका व्यक्तिगत सम्बन्ध है। यहबात साधारणतः सर्वमान्य है कि ब्रिटिशभारत के पूर्णस्वाधीनता प्राप्त करने परइनराज्योंकी स्थिति अप्रभावित नहीं रहसकती और ख्यात है कि वे विधान निर्माण कार्य में भाग लेने की इच्छा करेंगे और अखिलभारतीयसंघ में उनका प्रतिनिधित्व होगा किन्तु इस मामले में पहले से ही कोइ निर्णय कर सकना हमारे अधिकार में नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्यवाही करने से पहले उसके सम्बन्ध में इन राज्यों से बातचीत करनी ही होगी।

अन्तर्कालीन सरकार

विधान-निर्माण काल में शासन प्रबन्ध जारी रहना चाहिये

स लिए हम तत्काल ऐसी अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना को अत्यधिक महत्व देते हैं जिसे प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। इस विषय में वायसराय महोदय ने पहले ही बात चीत प्रारम्भ करदी है और उन्हें आशा है कि वे शीघ्र ही एक सफल निर्णय पर पहुंच सकेंगे।

इस संक्रान्ति काल में ब्रिटिश सरकार भारत सरकार में होने वाले परिवर्तनों के महत्व को स्वीकार कर इस प्रकार पहिले से स्थापित की गई तजवीज को उसके शासन सम्बन्धी कार्य का पूरा करने और इस परिवर्तन को यथा शीघ्र तथा सरलता के साथ कार्य रूप देने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

राजनीति शास्त्र का यह सार है कि संभावित भावी घटनाओं को पहले ही भांप लिया जाय, परन्तु कोई भी राजनीतिज्ञ इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता कि वह एक ऐसे विधान का निर्माण कर सके जिसके अज्ञात भविष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो। इसलिए हमें विश्वास है कि भारतीय जिन पर प्रारम्भिक विधान तैयार करने की जिम्मेदारी है इसे

इस इस छोटे से भाषण में आप मुझ से हमारे प्रस्तावों सम्बन्धी विस्तार की बातों में जाने की आशा न करेंगे। क्यों

ये बातें आप हमारे वक्तव्य में पढ़ सकते हैं, जो आज सायंकाल को प्रकाशन के लिये दिया जा चुका है। परन्तु अन्त में मैं उस बात को दोहरा देना चाहता हूं और उस पर जोर भी देना चाहता हूं जो मेरे विचार में एक आधारभूत प्रश्न है। भारत का भविष्य तथा इस भविष्य का प्रारम्भ किस प्रकार किया जाता है—ये केवल भारत के ही लिए नहीं वरन् सम्पूर्ण संसार के लिये असाधारण महत्व की बातें हैं। यदि एक महान् नये सत्ताधारी राज्य की स्थापना भारत के भीतर और बाहर परस्पर सद्भावना के साथ हो सके तो केवल यही तथ्य विश्व सुव्यवस्था के प्रति एक महान् योगदान होगा।

यह परिणाम प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन की सरकार तथा जनता केवल राजी ही नहीं है, परन्तु अपने हिस्से का पूरा कार्य करने को भी उत्सुक है। भारत के विधान का मसविदा भारतीय ही बनायेंगे और उसे कार्यान्वित करेंगे। यह कार्य आरम्भ करने में भारतीयों को जिन कठिनाइयों का सामना करना है उनका हम पूर्ण रूप से अनुभव करते हैं। इन कठिनाइयों पर विजय पाने की सहायता प्रदान के लिये अपनी शक्ति भर हमारे लिये जो भी सम्भव है, हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे परन्तु दायित्व और सुअवसर स्वयं भारतीयों ही का है कि इसका निर्वाह करने में वे पूर्ण रूप से सफल हों।

मन्त्री शिष्ट मण्डल और वायसराय का वक्तव्य

ब्रिटिश मन्त्री प्रतिनिधि मण्डल तथा वायसराय के वक्तव्य का, जिसकी कुछ दिनों से आशा जा रही थी- सारांश निम्न लिखित है:—

अन्त में प्रतिनिधि मन्डल ने कहा है कि समझौते के अभाव में वे भारतीय जनता के सम्मुख ऐसे प्रस्ताव रखते हैं जिनके सम्बन्ध में उसे आशा है कि इनके द्वारा भारतीयों को कम से कम समय में स्वाधीनता प्राप्त हो जायगी और आंतरिक उपद्रव और संघर्ष का भी कोई खतरा न रह जायगा। यदि ये प्रस्ताव स्वीकार न किये गये तो हिंसात्मक उपद्रव, अराजकता और यहां तक कि गृह युद्ध के भयानक संकट की सृष्टि होगी। इस लिए उन्हें आशा है कि ये प्रस्ताव उदारता एवं सदिच्छा की भावना से और चालीस करोड़ भारतीय जनता के हित में स्वीकार किये जायगे और उसी भावना से उन पर अमल भी किया जायगा जिस भावना से ये प्रस्तुत किये गये हैं। उन्होंने इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त किया है :—

'हमें आशा है कि नवीन स्वतन्त्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनना पसन्द करेगा। हमें आशा है कि चाहे जैसी भी स्थिति हो आप ब्रिटेन के साथ घनिष्टता पूर्ण मैत्री सम्बन्ध कथित रूप से लचीला बनायेंगे और समय समय पर आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन करने की व्यवस्था रखेंगे।

बनाये रखेंगे । किन्तु ये आपकी निजी और स्वतन्त्र निर्णय की बातें हैं । वह निर्णय चाहे जो कुछ हो हम तो संसार के महान राष्ट्रों में आपको उत्तरोत्तर उन्नति एवं आपके अतीत से भी अधिक गौरव पूर्ण भविष्य कामना करते हैं ।

शिमला सम्मेलन में समझौता न हो सकने पर प्रतिनिधि मण्डल ने इस बात का तात्कालिक प्रबन्ध करने का निश्चय कर लिया है, जिससे कि भारतीय भारत के भावी विधान का निर्णय कर सकें और तुरन्त ही एक अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना हो सके ।

प्रतिनिधि मण्डल का कथन है कि उसने निकट से तटस्थता पूर्वक भारत विभाजन की सम्भावना पर विचार किया है । मण्डल ने एक तरफ से तो पाकिस्तान के ऐसे पृथक सत्तासम्पन्न राज्य के सम्बन्ध में विचार किया हैं, जिसमें मुसलिमलीग ने छः प्रान्त रखने का दावा किया है, जिसमें सीमाओं के संशोधन की बात स्वीकार की गयी है और दूसरी मण्डल ने उस वैकल्पिक प्रस्ताव पर भी विचार किया है, जिसमें अपेक्षाकृत लघु सत्ता सम्पन्न पाकिस्तान की स्थापना की बात थी और जो केवल मुस्लिम बहुमत वाले प्रदेशों को मिला कर ही बनाया जाता था ।

इनमें से पहले विकल्प की सिफारिश करने में मण्डल

असमर्थ है क्योंकि ऐसे पृथक राज्य में उन बड़े बड़े गैर मुस्लिम अंगों को शामिल करने का वह कोई औचित्य नहीं समझता जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ३७०६ प्रतिशत तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ४८३ प्रतिशत होंगे। दूसरे विकल्प को अव्यवहारिक समझ कर अस्वीकार करते हैं क्योंकि इसमें पंजाब के समस्त अम्बाला और जालन्धर डिवीजन, सिलहट जिले को छोड़ कर समस्त आसाम प्रान्त तथा कलकत्ता सहित पश्चिमी बंगाल के एक बड़े भाग का प्रस्तावित क्षेत्र से बाहर निकाल देना होगा। इस लिये यह प्रतिनिधि मण्डल ब्रिटेश सरकार को यह राय देने में असमर्थ हैं कि भारत में सत्ता सम्पन्न दो बिलकुल पृथक राज्यों को सत्ता हस्तान्तरित कर दी जाय। किन्तु इस निर्णय का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों के इस वास्तविक भय पर पूर्ण रूप से विचार नहीं किया कि उनकी संस्कृति तथा उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन एक ऐसे शुद्ध संयुक्त भारतमें विलीन हो सकता है जिसमें हिन्दू अवश्य ही सर्वोपरि स्थिति में होंगे।

देशी राज्यों के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्डल कहता है कि यह बिलकुल ही स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर, चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल में रहे या इससे बाहर, देशी राज्यों और ब्रिटिश सम्राट के बीच जो अब तक

सम्बन्ध र हैं वे बाद में नहीं रह सकेंगे। ब्रिटिश सम्राट द्वारा सर्वोच्च सत्ता न तो अपनेपास रक्खी जा सकता है और ननयो सरकार को हस्तान्तरित की जा सकती है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने इस प्रतिनिधि मण्डल को विश्वास दिलाया है कि भारत के नवीन उत्थान में सहयोग देने के लिए वे तयार और इच्छुक हैं। विधान निमाण में देशी राज्य किस ढंग से सहयोग प्रदान करेंगे वह निश्चय ही सोच विचार और बातचीत का विषय होगा।

तदनुसार प्रतिनिधि मण्डल की शिफारिस है कि नव विधान का आधारभूत स्वरूप इस प्रकार है:—(१) समस्त भारत का एक संघ होना चाहिये जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य होंगे और यह निम्न विषयों का संचालन करेगा। परराष्ट्र विषय, रक्षा व्यवस्था और यातायात, और इसे उपयुक्त आधार के लिए धन प्राप्त करने के आवश्यक अधिकार प्राप्त होने चाहिये। (२) संघबद्ध भारत में एक शासन परिषद और एक व्यवस्थापक मण्डल हो जिनकी रचना ब्रिटिश भारतीय और देशीराज्यों के प्रतिनिधियों को लेकर की जाय। जिस किसी प्रश्न को लेकर व्यवस्थापक मण्डल में कोई बड़ी साम्प्रदायिक समस्या उठ खड़ी हो उसके निर्णय के लिये उपस्थित प्रतिनिधियों का बहुमत और दोनों मुख्य साम्प्रदायों में से प्रत्येक का मत-

दान और साथ ही उपस्थित और मतदान देने वाले समस्त सदस्यों का बहुमत प्रयोजनीय है। (३) संघ के विषयों को छोड़कर अन्य समस्त विषय और समस्त अवशिष्ट अधिकार प्रांतों को प्राप्त होने चाहिए। (४) संघ को दिये गये विषयों और अधिकारों को छोड़ कर, देशी राज्यों के पास सारे विषय और अधिकार होंगे। (५) प्रांतों को शासन परिषदों और व्यवस्थापक मण्डलों के साथ गुट बनाने की भी स्वतन्त्रता होनी चाहिए और प्रत्येक गुट को उन प्रांतीय विषयों का निर्णय करना चाहिये जिन पर समान्य रूप से विचार करना हो।

संघ तथा गुटों के विधान में एक शर्त रखी जाय कि कोई भी प्रांत अपनी व्यवस्थापिका सभा के बहुमत से प्रथम दस वर्षों के बाद तथा बाद में प्रत्येक दस वर्ष के पश्चात् इस विधान की व्यवस्था पर पुर्न विचार द्वारा परिवर्तन कराने का अधिकारी होगा।

प्रतिनिधि मण्डल का कहना है कि उपर्युक्त आधार पर बनाने वाले नये विधान के विस्तार में जाने की उनकी मन्शा नहीं है। ऊपर बतायी हुई शिफारिशें करना उन्होंने इसलिए आवश्यक समझा कि इस बातचीत के दौरान में उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक वे ऐसा नहीं करेंगे, विधान निर्माण कार्य में भारत के दो प्रमुख सम्प्रदायों के सहयोग की आशा

नहीं हो सकती। आगे चल कर प्रतिनिधि मण्डल ने उस व्यवस्था की ओर निर्देश किया है जिसका शीघ्र ही स्थापित होना उनकी राय में आवश्यक है।

वयस्क मताधिकार और चुनाव

वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर चुनाव अत्यधिक सन्तोषप्रद होते, परन्तु इसमें बहुत देर लगती। वयस्क मताधिकार का सबसे अच्छा विकल्प हाल में चुनी गई प्रांतीय असेम्बलियों को निर्वाचन का आधार बनाना है। यह ठीक है कि ये व्यवस्थापक सभाएं, विभिन्न प्रांतों की जनसंख्या अथवा उनके विविध अंगों का, समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। इस कठिनाई को दूर करने के लिये प्रतिनिधि मन्डल ने निश्चय किया है कि सर्वाधिक तथा सर्वाधिक व्यवहार्य योजना यह होगी।

(क) मोटे तौर पर, प्रत्येक प्रांत की जनसंख्या के आधार पर, १० लाख पीछे एक सीट के अनुपात, से सीटें दी जायें।
(ख) प्रांत के मुख्य सम्प्रदायों में इन निश्चित सीटों का बटवारा उनकी जनसंख्या के अनुरूप हो। इस बात की व्यवस्था हो कि प्रांतों में प्रत्येक सम्प्रदाय प्रतिनिधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रांतीय असेम्बली के उसी सम्प्रदाय के सदस्यों द्वारा चुने जांय।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे केवल तीन प्रधान सम्प्रदायों

साधारण, मुस्लिम तथा सिख को ही स्वीकार करते हैं। छोटी छोटी अल्पसंख्यक जातियां साधारण सम्प्रदाय के साथ मत देंगी।

इस प्रकार चुने गये प्रांतीय व्यवस्थापक मन्डलों के प्रतिनिधि भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ यथा-सम्भव शीघ्र नयी दिल्ली में एक संयुक्त अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। अध्यक्ष के चुनाव तथा अन्य कार्य के लिए आरम्भिक बैठक हो जाने के बाद उपर्युक्त प्रतिनिधि नीचे लिखे अनुसार तीन भागों में विभक्त हो जायेंगे। भाग 'अ'—मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रांत, बिहार, मध्यप्रांत तथा उड़ीसा। भाग 'बी'—पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमाप्रांत तथा सिन्ध। भाग 'सी'-बंगाल और आसाम।

विधान निर्मात्री परिषद के ये तीनों भाग, अपने अपने गुट के प्रान्तों के प्रान्तीय विधानों का निर्णय करेंगे और इन प्रश्नों का भी निर्णय करेंगे कि क्या गुट, (ग्रुप) के लिए भी कोई विधान रहेगा और यदि रहेगा तो कौन कौन से प्रांतीय विषय उसके अन्तर्गत रखे जांएगे। तथा संघ-विधान लागू हो जाने पर, प्रांतों को अपने नये व्यवस्थापक मन्डल के निर्णय से गुटों से पृथक हो जाने की स्वतन्त्रता रहेगी। 'गुटों' का विधान निश्चित हो जाने के बाद विधान निर्मात्री परिषद के तीनों भाग संघ का विधान निर्मित करने के लिए, भारतीय राज्य प्रतिनिधियों के साथ फिर संयुक्त अधिवेशन में सम्मिलित होंगे।

सांघीय विधान निर्मात्री परिषद में किसी भी ऐसे प्रस्ताव के लिए जो उन सिफारिशों से विभिन्न हो, जो प्रतिनिधि मन्डल ने विधान के आधारभूत स्वरूप के सम्बन्ध में की है और किसी ऐसे प्रस्ताव के लिए जिसमें कोई बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न उठाया गया हो—दोनों ही प्रमुख साम्प्रदायों के उपस्थित प्रतिनिधियों के पृथक बहुमत की तथा सम्मिलित रूप से सब प्रतिनिधियों के बहुमत की आवश्यकता होगी।

वायसराय तुरन्त ही प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डलों से अपने अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का आवेदन करेंगे।

निःसन्देह यह आवश्यक है कि जब विधान निर्मात्री का कार्य हो रहा हो तो भारत का शासन-प्रबन्ध भी चलता रहना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये तत्काल ही प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त एक ऐसी अन्तर्कालीन सरकार स्थापित करने की वायसराय आशा करते हैं, जिसमें युद्ध सदस्य के विभाग सहित सभी विभाग जनता के पूर्ण विश्वास प्राप्त भारतीय नेताओं के हाथ में होंगे। ब्रिटिश सरकार भारत सरकार में होने वाले परिवर्तनों के महत्व को स्वीकार करते हुए, इस प्रकार से स्थापित की गई सरकार को उसके शासन सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने और इस परिवर्तन के यथा शीघ्र तथा सरलता के साथ कार्यरूप देने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

अन्तरिम सरकार की स्थापना

जसा कि ऊपर लिखा जा चुका हैं मंत्रि मिशन की इस घोषणा के अनुसार वायसराय ने अन्तरिम गवनमेंट बनाने का बहुत प्रयत्न किया पर मुस्लिम लीग की इस जिद के कारण कि कांग्रेस को अपने कोटे के सदस्यों में भी किसी राष्ट्रीय मुस्लिम सदस्य को लेने का अधिकार नहीं है यह बात चीत टूट गई। कांग्रेस ने घोषणा करदी कि वह विधान निर्मात्री परिषद के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार करके उसमें शामिल होना स्वीकार करती है और अन्तरिम गवर्नमेंट के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है। मुस्लिम लीग ने अपनी बम्बई की बैठक में निश्चय कर घोषित किया कि हम अन्तरिम गवनमेंट बनाने को तैयार हैं पर चूंकि प्रांतों की गुटबन्दी अनिवार्य नहीं मानी गई है और इससे हमारा पाकिस्तान का उद्देश्य पूरा नहीं होता अतः हम विधान परिषद में शामिल होने को अस्वीकार करते हैं।

मन्त्रि मिशन विलायत वापिस चला गया! उसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी और साथ ही शायद अपने भारत वर्ष के अनुभव भी सुना दिये कि भारत वर्ष में केवल कांग्रेस ही ऐसी शक्तिशाली संस्था है जो सरकार का कार्य सम्भाल सकती है या विधान निर्मात्री परिषद का निर्माण कर

सकती है। इसको साथ लिये बगैर न देश में शान्ति होगी और न पुनर्निमाण का कार्य। अतः किसी प्रकार भी हो कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। इस बात को जानकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वायसराय पर कांग्रेस नेताओं से फिर बातचीत चलाने का जोर दिया तथा वायसराय ने प० जवाहरलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं के परामर्श से अन्तरिम सरकार की स्थापना की और कांग्रेस के दिये गये नाम और कार्य स्वीकार कर लिये।

इस प्रथम राष्ट्रीय सरकार ने २ सितम्बर १९४६ को कार्य भार ग्रहण किया। प० नेहरू ने आल इंडिया रेडियो से ब्राडकास्ट करते हुए अपने उद्देश्य और मुस्लिम लीग के लिये स्थान खाली रहने की महत्वपूर्ण घोषणा की। × इस सरकार में निम्न सदस्य शामिल किये गये। प० जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डा० राजेन्द्रप्रसाद, श्री एम० आसफअली, श्री सी० राजगोपालाचार्य, श्री शरतचन्द्रबोस, डा० जानमथाई, सरदार बलदेवसिंह, सर शफात अहमद खां, श्री जगजीवन राम, सैयद अलीजहीर, श्री कुंवर जी होरमसजी भाभा।

× अन्तरिम सरकार की स्थापना वाले भाषणों के लिये "पं० नेहरू के प्रमुख भाषण नामक पुस्तक लेखक द्वारा लिखित हमारे यहां से ॥ ॥ मंगाइये।

दो मुस्लिम मंत्रियों के लिए बाद में नियुक्ति के लिये स्थान खाली रखा गया।

२४ अगस्त को दिल्ली रेडियो से तत्कालीन वायसराय ने इसकी घोषणा करदी।

× × × ×

मुस्लिम लीग जिसने पहिले अन्तरिम गवर्नमेंट में शामिल होना स्वीकार कर लिया था, अब बिगड़ उठी उन्होंने अन्तरिम गवर्नमेंट में शरीक न होने के साथ साथ वायसराय द्वारा लीग को धोखा देने की बात भी कही और यह कहा कि वायसराय ने उन्हें कोई अन्य आश्वासन दिया था साथ ही मि० जिन्ना और वायसराय के साथ आपस में हुआ पत्र व्यवहार भी वायसराय से बिना पूछे प्रकाशित कर दिया।

इधर जब मुस्लिम लीग ने देखा कि अन्तरिम सरकार बिना लीग के सहयोग के बड़े ठाट से काम चला रही है, कांग्रेस का प्रभाव न केवल देश में ही बल्कि विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने इस सरकार के कार्य में रोड़े अटकाने के लिये देश में साम्प्रदायिक स्थिति खराब करने का निश्चय किया। जोशीले भाषण दिए गये। गुप्त सरक्युलर बांटे। परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, यू० पी० आदि में ऐक्शन डे० पर दंगे हुए पर उनसे अन्तरिम सरकार के कार्य में कोई बाधा नहीं आई। तो लीग को अब यह चिन्ता हुई कि किसी प्रकार भी मर्यादा

रहते हुए हम अन्तरिम सरकार में शामिल हो जायें। उधर ब्रिटिश सरकार और वायसराय भी यही चाहते थे कि लीग उसमें शामिल हो जायें। वायसराय ने फिर लीग से बात चीत आरम्भ की और परिणाम स्वरूप इस मौलिक आश्वासन पर कि लीग विधान परिषद् में भी शामिल हो जायगी कि अन्तरिम सरकार में उनके निम्न सदस्य ले लिये गये। मि० लियाकत अली खां, मि० गजनफर अली, सरदार अब्दुलरबनिस्तर मि० चुन्दरीगर और अछुत प्रतिनिधि मि० मण्डल। उनके लिये स्थान खाली करने को श्री शरतचन्द्र बोस सरशफात अहमद खाँ और सैयद अली जहीर के नाम कांग्रेस ने वापिस ले लिये और इस प्रकार यह सर्वदली सरकार स्थापित होगई।

कांग्रेस ने अन्तरिम गवनमेन्ट को गौण और विधान परिषद को मुख्य समझा है अतः वह बराबर प्रयत्न करती रही कि यह कार्य न रुके। उसने वायसराय पर जोर देकर उसकी तैयारियां आरम्भ रखीं, और लीग के प्रबल प्रयत्न, विरोध और शामिल न होने पर भी ९ दिसम्बर को उसका अधिवेशन आरम्भ होगया।

जग नियन्ता से प्रार्थना है कि यह परिषद अपने कार्य में पूर्ण सफल हों ताकि भारत शीघ्र से शीघ्र एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूपमें संसार के सामने गर्व से सर ऊंचा करके खड़ा होसके।

जय हिन्द